

दक्षिण मध्य रेलवे

ब्लाक संचालन नियमावली

- भाग - क - इकहरी लाइन - टोकन
बी डब्ल्यू एम एस (टी)
- भाग - ख - इकहरी लाइन - टोकन रहित
बी डब्ल्यू एम एस (टी एल)
- भाग - ग - दोहरी लाइन
बी डब्ल्यू एम डी
- अनुबंध - पेपर लाइन क्लीयर टिकट

2005

(केवल सरकारी उपयोग के लिए)

आमुख

गाड़ियों के संचालन के लिए अपनायी जाने वाली कार्यविधि और पद्धति का समावेश करते हुए इकहरी लाइन/टोकन, टोकन रहित और दोहरी लाइन से संबंधित ब्लॉक संचालन नियमावलियां आखरी बार 1978 में प्रकाशित की गई थी. कुछ टोकन/टोकन रहित ब्लॉक उपकरणों को रद्द करने तथा कतिपय नियमों में परिवर्तन के साथ इन नियमावलियों को अद्यतन करना आवश्यक हो गया है. अब इसे इकहरी लाइन - टोकन/टोकन रहित और दोहरी लाइन ब्लॉक संचालन नियमावलियों के रूप में तैयार किया गया है.

तीनों ब्लॉक संचालन नियमावलियों का एक ही पुस्तक में समावेश किया गया है. प्रत्येक रेल सेवक, जिसे ब्लॉक संचालन नियमावलियां सप्लाई की जाती हो, इनमें दिए गए नियमों की पूरी-पूरी जानकारी रखेगा और वह अपने कार्य से संबंधित सभी नियमों की जानकारी तथा उनके अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा.

इन नियमावलियों को साधारण व सहायक नियमों के साथ पढ़ा जाता है और इसमें उल्लिखित किसी भी बात को साधारण व सहायक नियमों में आशोधन या संशोधन के रूप में नहीं माना जाएगा.

ब्लॉक संचालन नियमावली में संशोधन को पृष्ठ प्रतिस्थापन के रूप में जारी किया जाएगा और इन्हें अद्यतन रखना उन कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, जिन्हें इन नियमावलियों की सप्लाई की जाती है. आशा की जाती है कि इन नियमावलियों में की गई कार्यविधि और पद्धतियां कर्मचारियों को अपना कार्य दक्षतापूर्वक तथा संरक्षापूर्वक करने में सहायक होंगी.

(एच.जी.शर्मा)

मुख्य परिचालन प्रबंधक

सिकंदराबाद,
दिनांक : 24.12.2005

प्रस्तावना

- इस संशोधित ब्लॉक संचालन नियमावली में दक्षिण मध्य रेलवे की इकहरी लाइन/टोकन, इकहरी लाइन/टोकन रहित तथा दोहरी लाइन सेक्शनों पर ब्लॉक संचालन के लिए विस्तृत कार्यविधि दी गई है.
- किसी प्राधिकृत अधिकारी (मुख्य परिचालन प्रबंधक) के स्पष्ट लिखित प्राधिकार के बिना इस पुस्तक में समाविष्ट किसी आदेश का परिवर्तन, अधिक्रमण या निलंबन नहीं किया जाएगा.
- इस संबंध में जारी सभी आदेश, पत्र और अनुदेश कार्यालयीन कार्य से उद्भूत माने जाएंगे और रेल प्रशासन के केवल ऐसे कर्मचारियों को ही सूचित किए जाएंगे जिनसे ये संबंधित हैं.
- नियम पुस्तक की देख-रेख : इस नियम पुस्तक का सावधानी से अध्ययन किया जाए और इन्हें उपयोग करने के लिए तैयार रखा जाए. समय-समय पर सूचित परिवर्तन या परिवर्धन साफ-सुथरे रूप से प्रविष्ट किए जाते हैं.
- यह पुस्तक रेल प्रशासन की संपत्ति है और सेवा छोड़ने पर इसके धारी द्वारा इसे लौटायी जाए.

दिनांक : 23.12.2005
सिकंदराबाद.

(एम.राजु)

मुख्य यातायात योजना प्रबंधक
दक्षिण मध्य रेलवे

दक्षिण मध्य रेलवे
ब्लॉक संचालन नियमावली
भाग - क - इकहरी लाइन - टोकन
बी डब्ल्यू एम एस (टी)

2005

(केवल सरकारी उपयोग के लिए)

अनुक्रमणिका

नियम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
-------------	------------	--------------

अध्याय-I

टोकन ब्लॉक उपकरणों के विवरण

1.1	ब्लॉक उपकरणों की व्यवस्था	1
1.2	नील बाल टोकन उपकरण के विवरण	1
1.3	नील टेबलेट टोकन उपकरण के विवरण	3
1.4	अंतरंग उपस्कर	4
1.5	बहिरंग उपस्कर	4

अध्याय - II

कार्य प्रणाली, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र, गाड़ियों की प्राथमिकता, संकेतों की अभिस्वीकृति और गाड़ी सिगनल रजिस्टर

2.1	कार्य प्रणाली	5
2.2	ब्लॉक सक्षमता प्रमाणपत्र	5
2.3	घंटी कूट	6
2.4	गाड़ियों की प्राथमिकता	7
2.5	संकेतों की अभिस्वीकृति	8
2.6	गाड़ी सिगनल रजिस्टर	8
2.7	गाड़ी सिगनल रजिस्टर का निरीक्षण	10
2.8	गाड़ी सिगनल रजिस्टर का परिरक्षण	11
2.9	स्टेशन मास्टर्स द्वारा कार्यभार सौंपना/कार्यभार ग्रहण करना	11

अध्याय-III

ब्लॉक उपकरणों की संचलन पद्धति

3.1	उपस्कर तक पहुंच और उसका प्रचालन	13
3.2	एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन तक गाड़ी को सिगनल देना	
3.3	(क) गाड़ी के ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने से पहले "लाइन क्लीयर" रद्द करना (सा.नि.14.22)	
3.3	(ख) गाड़ी को पीछे धकेलने के बाद ब्लॉक सेक्शन को बंद करना	
3.4	द्विसंकेती सिगनल युक्त श्रेणी "बी" इकहरी लाइन स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के बीच शंटिंग.	
3.4.1	बहुसंकेती सिगनल युक्त श्रेणी "बी" इकहरी लाइन स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के बीच शंटिंग.	
3.4.2	द्विसंकेती और बहुसंकेती सिगनल क्षेत्र में इकहरी लाइन पर प्रथम रोक सिगनल के आगे शंटिंग	
3.5	ब्लॉक सेक्शन के टोकन द्वारा नियंत्रित दूरस्थ साइडिंग	

3.6	गाड़ियों को लेने के लिए स्टेशन मास्टर और केबिन/केबिनों के बीच प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान	
3.7	"ध्यानाकर्षण" सिगनल	
3.8	"क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल - कब भेजे जाए	
3.9	"लाइन क्लीयर" मांगने से पहले किए जाने वाले पूर्वोपाय	
3.10	"क्या लाइन क्लीयर है" - कब मांगा जाए	
3.11	"क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल स्वीकार करना और "लाइन क्लीयर" सिगनल भेजना	
3.12	"लाइन क्लीयर" देने से पहले किये जानेवाले पूर्वोपाय	
3.13	"लाइन क्लीयर" देना	
3.14	सुपुर्दगी के लिए टोकन सुरक्षित रखना	
3.15	प्रस्थान प्राधिकार	
3.16	ड्राइवर को टोकन ("प्रस्थान प्राधिकार") की सुपुर्दगी	
3.17	"गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल	
3.18	ड्राइवर द्वारा स्टेशन पर टोकन सौंप देना	
3.19	ब्लाक उपकरण के अंदर टोकन डालना	
3.20	"गाड़ी ब्लाक सेक्शन के बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल देना	
3.21	टोकन को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में अंतरित न किया जाए न ही गलत टोकन सौंपा जाए	
3.22	प्राइवेट नंबर	

अध्याय-IV

सतर्कता आदेश

4.1	सतर्कता आदेश (सा.नि. 4.09)	
-----	----------------------------	--

अध्याय-V

विशेष सिगनलों का उपयोग और आपात समय में कार्यविधि

5.1	"क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल का अस्वीकरण और "अवरोध खतरा" सिगनल भेजना	
5.2	"अवरोध खतरा" सिगनल का विशेष उपयोग	
5.3	"अंतिम सिगनल रद्द करो"	
5.4	"गलत दिया गया सिगनल" - सिगनल	
5.5	असामान्य रूप से विलंबित गाड़ियां	
5.6	"गाड़ी को रोको और उसकी जांच करो" सिगनल	
5.7	"बिना पिछली बत्ती/पिछली कौंध बत्ती या 'पिछले बोर्ड' के गाड़ी गुजरी" सिगनल	
5.8	"गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल	
5.9	"वाहन ब्लाक सेक्शन से निकल भागे" सिगनल	
5.10	सरकारी या रेल दूरसंचार कर्मचारियों के दूरसंचार तारों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित पूर्वोपाय	

अध्याय-VI

लॉरी, पुश ट्राली, साइकिल ट्राली, मोटर ट्राली, रेल डॉली तथा रेल एवं सड़क वाहन

6.1	लॉरियों/पुश ट्रालियों/साइकिल ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/रेल डॉलियों और रेल एवं सड़क वाहन के लिए लाइन ब्लाक करना.	
-----	--	--

अध्याय-VII

ब्लाक उपकरणों की जांच

7.1	"जांच" सिगनल	
7.2	जांच के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	
7.3	जांच के दौरान ब्लाक सेक्शन का क्लियर रहना	
7.4	जांच की कार्यविधि	
7.5	खराब टोकनों को निकालना या नए टोकनों की व्यवस्था	
7.6	टोकन उपकरणों का प्रतिस्थापन	
7.7	टोकन उपकरणों में टोकनों का तुलन	
7.8	सिगनल व दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित होने पर "अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी" निकालने की कार्यविधि	
7.9	ब्लाक संचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले सहमति अपेक्षित है	
7.10	सिगनल व दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा ब्लाक उपकरण का अनुरक्षण	

अध्याय-VIII

टोकन ब्लाक उपकरणों की खराबी

8.1	टोकन ब्लाक उपकरणों की खराबी	
8.2	टोकन का खो जाना	
8.3	ब्लाक उपकरणों की खराबी का रिकार्ड	
8.4	भेजी जाने वाली रिपोर्टें	
8.5	ब्लाक संचालन बाधित होने पर या निलंबित करने पर गाड़ी सिगनल व्यवस्था	
8.6	गाड़ी के प्रस्थान के बाद या गाड़ी के लिए ब्लाक सेक्शन क्लियर करने से पहले ब्लाक उपकरण खराब हो जाने के कारण जब "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल नहीं दिया जा सकता, तो अपनाई जानेवाली कार्यविधि	
8.7	ब्लाक टेलीफोन के माध्यम से "एक्स" और "वाई" के बीच गाड़ियों की सिगनल व्यवस्था के लिए कार्यविधि	
8.8	नियंत्रण के माध्यम से "एक्स" और "वाई" के बीच सिगनल व्यवस्था के लिए कार्यविधि	
8.9	अवरोध या निलंबन के बाद ब्लाक संचालन की पुनः बहाली	
8.10	इकहरी लाइन पर संचार व्यवस्था का पूरी तरह से अवरोध	
8.11	इकहरी लाइन सेक्शन पर संचार व्यवस्था के पूर्ण रूप से भंग हो जाने के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए नियम और विनियम	

अध्याय- I

टोकन ब्लाक उपकरणों का विवरण.

टिप्पणी :

- (i) इस नियमावली में जहां कहीं स्टेशन मास्टर शब्द का प्रयोग किया गया है वह सहायक स्टेशन मास्टर, केबिन सहायक स्टेशन मास्टर और कोई अन्य सक्षम कर्मचारी के लिए भी, जो तत्समय ब्लाक संचालन का प्रभारी होगा, लागू है.
- (ii) इस नियमावली में दिए गए अनुदेशों को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए "डब्ल्यू", "एक्स", "वाई" और "जेड" को क्रमिक ब्लाक स्टेशनों के रूप में लिया गया है.

1.1 टोकन ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था :

- क) इसे रेलवे के इकहरी लाइन सेक्शनों में उपयोग किये जा रहे टोकन ब्लाक उपकरण निम्नलिखित प्रकार के हैं :-
- i) नील का बाल टोकन उपकरण
ii) नील का टैबलेट टोकन उपकरण.
- ख) जिन सेक्शनों में इन टोकन ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था की गई है, उनके नाम कार्यचालन समय सारणी में अधिसूचित किये गये हैं.

1.2 नील के बाल टोकन उपकरण का विवरण :

(इस अध्याय के अंत में चित्र सं.1 देखें)

क)	टोकन रिसीवर कवर	उपकरण के अंदर टोकन डालने के लिए टोकन रिसीवर कवर को ऊपर उठाना चाहिए.
ख)	टोकन रिसीवर हैंडल	उपकरण में टोकन गिरने के लिए इसे घुमाना चाहिए.
ग)	गैल्वेनोमीटर	इससे एक उपकरण से दूसरे उपकरण में विद्युत प्रवाह का पता चलता है.
घ)	टेलीफोन	ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन के साथ संपर्क करने के लिए उपकरण के साथ इसकी व्यवस्था की जाती है.

च)	प्लंजर	"घंटी कूट" संकेतों के प्रेषण और "प्रचालन हैंडल" को प्रचालित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है.
छ)	प्रचालन हैंडल	इसे "लाइन बंद" या "को गाड़ी जा रही है" या "से गाड़ी आ रही है" स्थितियों में सेट किया जा सकता है. ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन से जब लंबे समय तक बीट सुनाई दे, तो इसे इनमें से किसी एक स्थिति में घुमाया जा सकता है.
ज)	टोकन निकासी	जब 'प्रचालन हैंडल' को "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाया जाता है तो इसमें से एक टोकन बाहर निकलता है.
झ)	टोकन खिड़कियां	इससे उपकरण में टोकनों की उपलब्धता का पता चलता है.
ट)	घंटी	ब्लॉक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन द्वारा घंटा कूट संकेत (बेल कोड सिगनल) दिये जाने पर यह घंटी बजने लगती है. जिन स्टेशनों पर, एक से अधिक उपकरण हैं, भिन्न भिन्न ध्वनि वाली घंटियाँ लगाई जाती हैं, जिससे उन उपकरणों को अलग-अलग पहचाना जा सके.
ठ)	"को गाड़ी जा रही है" स्थिति में "ई" प्रकार का ताला सहित चाबी	यह उन स्टेशनों पर होता है जहाँ अंतिम रोक सिगनल ब्लॉक उपकरण के द्वारा यांत्रिक रूप में नियंत्रित होता है. यह चाबी तभी निकाली जा सकती है, जब ब्लॉक हैंडल "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में हो, और इसका उपयोग अंतिम रोक सिगनल लीवर के नियंत्रण के लिए किया जाता है. इसका उपयोग स्लिप साइडिंग पाइंटों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है.

ड)	"से गाड़ी आ रही है" स्थिति में "ई" प्रकार का ताला सहित चाबी	यह चाबी तभी निर्मुक्त की जा सकती है, जब प्रचालन हैंडल "से गाड़ी आ रही है" स्थिति में हो और इसका उपयोग कैच साइडिंग पाइंटों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है.
ढ)	स्टेशन मास्टर की चाबी	जब इस चाबी को बाहर निकाला जाता है तो यह उपकरण अंतिम प्रचालित स्थिति में ताला बंद कर देता है और केवल आने वाली घंटी ही सुनी जा सकती है. जब उपकरण को प्रचालित करना अपेक्षित न हो तो इसे स्टेशन मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा रखा जाना चाहिए.

टिप्पणी :- हर एक टोकन पर टोकन का नंबर और ब्लॉक सेक्शन के प्रत्येक छोर के दोनों स्टेशनों के, जिनके लिए वह टोकन लागू होता है, कूटाक्षर अंकित होते हैं. टोकनों पर भिन्न-भिन्न सेक्शनों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के खांचे बने होते हैं. भिन्न ब्लॉक सेक्शनों के लिए चार भिन्न श्रेणियों के बाल टोकन होते हैं अर्थात् क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी.

1.3 नील के टैबलेट टोकन उपकरण का विवरण

(इस अध्याय के अंत में चित्र सं.2 देखें)

यह उपकरण निम्नलिखित अंतर के अलावा नील के बाल टोकन उपकरण के समान है :

क) हैंडल सहित टोकन स्लाइड :

उपकरण के ऊपरी भाग में टोकन रिसेवर कवर के बदले टोकन स्लाइड होता है. स्लाइड को बाहर खींचकर, खांचे में टैबलेट टोकन और स्लाइड को फिर से अंदर धकेल कर उपकरण में एक टैबलेट टोकन डाला जाता है.

ख) नील के टैबलेट टोकन उपकरणों में टोकन संकेतकों के बदले टैबलेट खिड़कियां होती हैं.

टिप्पणी : हर एक टोकन पर टोकन का नंबर और ब्लाक सेक्शन के प्रत्येक छोर के दोनों स्टेशनों के, जिनके लिए वह टोकन लागू होता है, कूटाक्षर अंकित होते हैं। टैबलेट टोकनों को विभिन्न प्रकार के खांचों में रखा जाता है और स्लाइड को पीछे धकेला जाता है। भिन्न ब्लाक सेक्शनों के लिए चार भिन्न श्रेणियों के टैबलेट टोकन होते हैं अर्थात् क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी और घ श्रेणी.

1.4 अंतरंग उपस्कर :

अंतिम रोक सिगनल पर नियंत्रण निम्न प्रकार हो सकता है.

(क) नील बॉल तथा नील के टैबलेट टोकन ब्लाक उपकरण के लिए

i) अंतिम रोक सिगनल को निर्मुक्त करने के लिए लाइन क्लियर मिलने पर उपकरण में से निकाली गई यांत्रिक नियंत्रण चाबी का उपयोग करके.

या

ii) जब 'प्रचालन हैंडल' "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाया जाता है तो रिवर्सर पर विद्युत नियंत्रण निर्मुक्त हो जाता है.

या

iii) जब 'प्रचालन हैंडल' "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाया जाता है तो गाड़ी भेजने के लिए रूट लीवर पर विद्युत लीवर लॉक निर्मुक्त हो जाता है.

1.5 बहिरंग उपस्कर :

अंतिम रोक सिगनल को नियंत्रित करने के लिए अधिकांश मामलों में एक विद्युत सिगनल रिवर्सर की व्यवस्था है.

नील का बाल टोकन इकहरी लाइन टोकन ब्लॉक उपकरण

चित्र - 1

नील का टैबलेट टोकन इकहरी लाइन टोकन ब्लॉक उपकरण

चित्र - 2

अध्याय II

संचालन पद्धति, ब्लाक सक्षमता प्रमाण-पत्र, गाड़ियों की प्राथमिकता, सिगनलों की अभिस्वीकृति और गाड़ी सिगनल रजिस्टर

2.1 संचालन पद्धतियाँ (सा.नि. 7.01):

इस रेलवे पर साधारणतया प्रयुक्त पद्धतियाँ हैं :-

(क) स्वचालित ब्लाक पद्धति : सनि 7.01 के अंतर्गत यथा निर्धारित.

(ख) पूर्ण ब्लाक पद्धति : अन्य सभी सेक्शनों पर.

2.2 ब्लाक सक्षमता प्रमाण पत्र : (सा.नि. 14.04)

(क) ब्लाक संचालन से संबंधित नियमों में कर्मचारियों को सही आरंभिक/पुनश्चर्या प्रशिक्षण देने के लिए क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान/मौलाअली का प्रिंसिपल जिम्मेदार है. इस प्रयोजन के लिए ली गई परीक्षा में कर्मचारियों को सफल घोषित करने के बाद वह सभी ब्लाक उपकरणों के संबंध में आवश्यक सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करेगा. ये प्रमाण-पत्र इनके जारी करने की तारीख से केवल तीन वर्ष तक वैध रहेंगे. आरंभिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में उपस्थित होने वालों को यह प्रमाण पत्र क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान/मौलाअली के प्रिंसिपल द्वारा अपने हस्ताक्षर के अंतर्गत जारी किये जाने चाहिए.

(ख) प्रिंसिपल, सिवदू प्रशिक्षण केंद्र/मौलाअली उन सिगनल अनुरक्षकों को ब्लाक सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है जिनका ब्लाक उपकरण का अनुरक्षण और इनकी जांच करना अपेक्षित है. आरंभिक/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद यह प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिए जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है. अस्थाई उपाय के तौर पर मंडलों के मंसिवदूइंजी/समंसिवदूइंजी ब्लाक सक्षमता प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, तथापि ऐसा बढ़ाना केवल एक बार अनुमत है.

(ग) ऐसे स्टेशनों पर काम करने वाले कर्मचारी, जहाँ ब्लाक उपकरणों का प्रचालन उनके लिए अपेक्षित नहीं है, यदि उन्हें ऐसे स्टेशन पर स्थानांतरित किया गया हो जहाँ उनका ब्लाक उपकरण का प्रचालन अपेक्षित हो तो उसके पास वैध ब्लाक सक्षमता प्रमाण-पत्र होने पर भी, उन्हें ब्लाक उपकरण के प्रचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्हें ब्लाक उपकरण के प्रचालन की अनुमति देने के पहले संबंधित यातायात निरीक्षक द्वारा स्थानीय रूप से उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए और मंडल के मंडल परिचालन प्रबंधक/मंडल परिचालन प्रबंधक द्वारा ब्लाक सक्षमता प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकन किया जाना चाहिए.

(घ) ब्लाक सक्षमता प्रमाण-पत्र, कर्मचारियों को, ड्यूटी पर रहते समय अपनी निजी अभिरक्षा में रखना चाहिए और निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा माँगे जाने पर उसे निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए.

2.3 घंटी कूट (सा.नि. 14.05)

गाड़ियों को सिगनल देने के लिए घंटी सिगनलों के निम्नलिखित निर्धारित कोड का प्रयोग किया जाएगा और प्रत्येक ब्लाक स्टेशन पर ब्लाक संचालन उपकरण के प्रचालन स्थान के पास इसकी एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी.

निर्देश सं.	संकेत	कूट	संकेत विधि	अभिस्वीकृति की रीति
1.	ध्यानाकर्षण टेलिफोन उठाएं	0	एक घंटी या बीट	एक घंटी या बीट
2.	क्या लाइन क्लियर है या लाइन क्लियर पूछताछ	00	दो	दो
3*.	गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है.	000	तीन	तीन
4*.	(क) गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर (ख) अवरोध हटाया गया	0000	चार	चार
5.	(क) अंतिम सिगनल रद्द करो (ख) सिगनल गलती से दिया गया	00000	पांच	पांच
6.	(क) अवरोध खतरा सिगनल(सामान्य)	000000	छह	छह
	(ख) रोक और गाड़ी की जांच करो	000000-0	छह-विराम एक	छह-विराम एक
	(ग) गाड़ी पिछली बत्ती (टेल लैम्प) या पिछले बोर्ड (टेल बोर्ड) के बिना गुजरी है.	000000-00	छह-विराम दो	छह-विराम दो
	(घ) गाड़ी विभाजित हो गई है.	000000-000	छह-विराम तीन	छह-विराम तीन
	(च) वाहन इकहरी लाइन के ब्लाक सेक्शन में निकल भागे हैं.	000000-0000	छह-विराम चार	छह-विराम चार
7.	जांच	0000000000000000	सोलह	सोलह

टिप्पणी : (i) "0" घंटी या बीट का सूचक है और '--' विराम का सूचक है.

- (ii) प्रत्येक घंटी संकेत धीरे और स्पष्ट दिया जाएगा.
- (iii) * जहां निरंतर रेलपथ परिपथन प्रयोग में है, मद (3) और (4) देना अपेक्षित नहीं है.

2.4 गाड़ियों की प्राथमिकता :

- (क) नियंत्रित सेक्शनों पर गाड़ियों का संचालन, नियंत्रक के आदेशों के अनुसार ही कड़ाई से किया जाएगा.
- (ख) अनियंत्रित सेक्शनों पर या नियंत्रण के भंग हो जाने पर, गाड़ियों की एक दूसरे पर प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में दी जाएगी.
1. दुर्घटना स्थल पर जानेवाली राहत गाड़ियां या अकेला इंजन.
 2. डाक विशेष गाड़ियां.
 3. मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां.
 4. सैनिक गाड़ियां.
 5. पैसेंजर गाड़ियां, जिन में रेल कार भी शामिल हैं.
 6. जनता द्वारा विनियुक्त विशेष गाड़ियां.
 7. निरीक्षण गाड़ियां, चाहे वे समय सारणी के अनुसार संचालित हो या नहीं और अकेले इंजन, जब वे दुर्घटना स्थल पर न जा रहे हों.
 8. मिली-जुली गाड़ियां.
 9. पार्सल गाड़ियां.
 10. दुर्घटना स्थल से वापस आने वाली राहत गाड़ियां (यदि उसमें घायल यात्री हों, तो उच्चतर प्राथमिकता दी जाएगी.)
 11. तेज चलनेवाली सीधी माल गाड़ियां.
 12. शंटिंग गाड़ियां/सड़क-माल गाड़ियां और खाली पैसेंजर गाड़ियां.
 13. सामग्री गाड़ियां.
- (ग) यदि गाड़ियों के अनुयमित रूप से चलने के कारण ब्लाक सेक्शन के एक ही छोर से दो या अधिक गाड़ियां चलने को तैयार हों तो अग्रता की तालिका में उच्चतर क्रम वाली गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी. यदि दोनों गाड़ियों की अग्रता समान हो तो उस गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे अधिक दूरी तय करनी हो.

- (घ) कम महत्व वाली गाड़ियों की अधिक रुकौनी से बचने के लिए :
- (i) किसी यात्री गाड़ी का 30 मिनट या उससे अधिक समय और माल गाड़ी का 45 मिनट का विलम्ब बचाने के लिए 10 मिनट से कम विलम्ब से चलनेवाली मेल या एक्सप्रेस गाड़ी को कुल दस मिनट तक रोका जा सकता है.
 - (ii) किसी माल गाड़ी का 30 मिनट या अधिक, विलंब बचाने के लिए 10 मिनट से कम विलम्ब से चलने वाली यात्री गाड़ी को कुल 10 मिनट तक रोका जा सकता है.

2.5 सिगनलों की अभिस्वीकृति : (सा.नि. 14.06)

- क) प्राप्त प्रत्येक सिगनल की प्राधिकृत अभिस्वीकृति भेज कर प्राप्त स्वीकृति दी जाएगी.
- ख) स्पष्ट रूप से न समझने तक किसी भी सिगनल की अभिस्वीकृति नहीं दी जाएगी.
- ग) जब तक किसी सिगनल की अभिस्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक इसे पूरा नहीं माना जाएगा.
- घ) यदि वह स्टेशन जिसे सिगनल भेजा गया है, उत्तर नहीं देता है तो, उत्तर प्राप्त होने तक ऐसे अंतरालों में सिगनल को दोहराया जाएगा जो 20 सेकेंड से कम नहीं होगा.
- च) किसी भी परिस्थिति में उपकरणों पर अनधिकृत घंटी सिगनलों का आदान-प्रदान न किया जाए.

टिप्पणी : ब्लाक उपकरण के अनधिकृत हस्तक्षेप को रोकने के पूर्वोपाय के रूप में सही प्राधिकृत सिगनलों के अलावा किसी अन्य सिगनल की अभिस्वीकृति न देने की अत्यंत सावधानी बरती जाएगी. बिजली गिरने के कारण होनेवाली गड़बड़ी, तारों के संस्पर्श या किसी अन्य अनियमितता के कारण कभी-कभी प्राप्त विचित्र या अस्पष्ट घंटी सिगनलों की किसी भी स्थिति में उपकरण पर अभिस्वीकृति या उत्तर नहीं दिया जाएगा. उपर्युक्त किसी एक कारण से प्रभावित उपकरण को प्रचालित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा.

2.6 गाड़ी सिगनल रजिस्टर : (सा.नि. 14.07) [गाड़ी सिगनल रजिस्टर (टी.14)]

- (क) स्टेशन मास्टर द्वारा या उसके आदेशों के अधीन, प्रत्येक ब्लाक उपकरण के साथ एक गाड़ी सिगनल रजिस्टर रखा जाएगा.
- (ख) ब्लाक उपकरण का प्रचालन करने वाला व्यक्ति विद्युत ब्लाक उपकरणों पर मिलने वाले या भेजे जाने वाले सभी सिगनलों और इनके मिलने या भेजे जाने के समय की अभिस्वीकृति के तुरंत बाद उक्त रजिस्टर में दर्ज करेगा.

- (ग) इस रजिस्टर में दर्ज किया गया समय वास्तविक समय होगा, केवल इस बात के अलावा कि एक मिनट के किसी अंश को एक मिनट माना जाएगा.
- (घ) जो व्यक्ति तत्समय इस रजिस्टर को रखता है, वह उसमें की गयी सभी प्रविष्टियों और रजिस्टर के प्रत्येक खाने के सही-सही भरे जाने के लिए जिम्मेदार होगा.
- (च) भारमुक्त होने वाला स्टेशन मास्टर ब्लाक उपकरणों से भारमुक्त होने और भार सौंपने का समय गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेगा और दोनों स्टेशन मास्टर (भारमुक्त और भार ग्राही) उस पर हस्ताक्षर करेंगे.

टिप्पणी :

- i) कार्यभार ग्रहण करने वाला स्टेशन मास्टर ब्लाक उपकरण की जांच करेगा और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तत्काल परिणाम दर्ज करेगा.
- ii) क) इकहरी लाइन टोकन सेक्शनों में जहां प्रेषण सिगनलों की व्यवस्था नहीं की गई है और बहु संकेती सिगनल क्षेत्र में ब्लाक उपकरण की "को गाड़ी जा रही है" स्थिति मुख्य निकट सिगनल के "प्रस्थान" संकेत के साथ अंतर्पीशित है, "प्रचालन हैंडल" को "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाए बिना मुख्य निकट सिगनल लीवर को खींचना चाहिए और यदि सिगनल को "प्रस्थान" संकेत में ले जाया जा सकता है तो सर्वसंबंधित को तदनुसार सूचित करते हुए ब्लाक संचालन निलंबित किया जाएगा.
- (ख) लोअर क्वार्टेंट सिगनल क्षेत्र में, जहां कहीं प्रस्थान सिगनलों की व्यवस्था नहीं की गई और ब्लाक उपकरण की "को गाड़ी जा रही है" स्थिति चेतावनी सिगनल के "आफ" संकेत के साथ अंतर्पीशित है, "प्रचालन हैंडल" को "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाए बिना चेतावनी सिगनल के लीवर को खींचना चाहिए और यदि सिगनल को "ऑफ" किया जा सकता है तो सर्वसंबंधित को तदनुसार सूचित करते हुए ब्लाक संचालन निलंबित किया जाएगा.
- iii) नील के टोकन उपकरणों के मामले में स्टेशन मास्टर दूसरे छोर पर स्टेशन के स्टेशन मास्टर के सहयोग के बिना "प्रचालन हैंडल" को "को गाड़ी जा रही है" और "से गाड़ी आ रही है" स्थितियों में, घुमाने का प्रयास करेगा. यदि हैंडल को इन स्थितियों में घुमाया नहीं जा सकता, तो उपकरण को ठीक माना जाएगा.
- iv) गैल्वेनोमीटर की व्यवस्था वाले ब्लाक उपकरणों के मामले में स्टेशन मास्टर यह भी तसल्ली कर लेगा कि गैल्वेनोमीटर में विचलन सही है.

- v) यदि ऊपर दी गई जांच शर्तें संतोषजनक नहीं हैं तो ब्लाक उपकरण को खराब माना जाएगा और टोकन कार्यचालन निलंबित किया जाएगा. यदि ऐसे जांच के दौरान दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर के सहयोग के बिना कोई टोकन निकाला जा सकता है तो टोकन कार्यचालन निलंबित किया जाएगा और सर्वसंबंधित को सूचना दी जाएगी. इस प्रकार निकाले गए टोकन को सुरक्षित रखा जाएगा और सिगनल निरीक्षक या किसी प्राधिकृत पदाधिकारी को सौंपा जाएगा.
- (छ) गाड़ी सिगनल रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां स्याही से की जाएंगी.
- (ज) गाड़ी रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि न तो मिटाई जाएगी और न ही लिखे पर लिखी जाएगी. यदि कोई प्रविष्टि गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर एक लाइन इस प्रकार खींच दी जाएगी कि उसे किसी भी समय पढ़ा जा सके और सही प्रविष्टि उसके ऊपर की जाएगी तथा आद्यक्षर कर दिये जाएंगे.
- (झ) उस दिन की अंतिम गाड़ी की प्रविष्टि के नीचे लाल स्याही से, एक लकीर खींच दी जाएगी.
- (ट) निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएंगी :
- (i) ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने वाली सामग्री गाड़ियां.
- (ii) लाइन क्लियर पर ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने वाली मोटर ट्रालियां, लारी और ट्रालियां.
- (iii) जांच सिगनलों का आदान-प्रदान किया जाता है.
- (iv) ब्लाक संचालन का बाधित होना.
- (v) स.नि. 15.26.2.1 में यथा उल्लिखित ट्रालियों का संचलन और स.नि. 15.27.6.1 में यथा उल्लिखित लारियों का संचलन.
- (vi) इंजीनियरी शाखा से प्राप्त लाइनों के अवरोध (लाइन ब्लाक) की सूचना.
- (vii) ब्लाक संचालन से संबंधित अन्य कोई विशेष घटना.
- (viii) किसी स्टेशन पर जब कोई रनिंग लाइन रुके हुए वाहन/गाड़ियों से ब्लाक है.

2.7 गाड़ी सिगनल रजिस्टर का निरीक्षण :

- (क) स्टेशन का प्रभारी स्टेशन मास्टर द्वारा उपयोग किये जाने वाले गाड़ी सिगनल रजिस्टर की प्रति दिन जांच करेगा और अभ्युक्ति कालम में (पिछले दिन की प्रविष्टियों के अंत में) उसके हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण-पत्र समझा जाएगा कि सभी गाड़ियां नियमित रूप से और सही क्रम में विधिवत् दर्ज की गई हैं और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज विवरण में और अपनी जांच के दौरान भी पाई गई अनियमितताओं को उसने नोट कर लिया है.

- (ख) सेक्शन के यातायात निरीक्षक और सिगनल निरीक्षण भी जब कभी स्टेशन का निरीक्षण करने आते हैं तो गाड़ी सिगनल रजिस्टर की जांच करेंगे और अपनी ड्यूटी के दौरान ब्लॉक कक्ष का निरीक्षण करेंगे.
- (ग) यदि कोई अनियमितता हो तो गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज की जाएगी और संबंधित पदाधिकारियों के ध्यान में लाई जाएगी.
- (घ) गाड़ी सिगनल रजिस्टर मंडल रेल प्रबंधक के आदेशों के बिना कैबिन से या उस कमरे से, जहां उपकरण रखे जाते हैं, नहीं हटाया जाएगा.

2.8 गाड़ी सिगनल रजिस्टर का संरक्षण :

गाड़ी सिगनल रजिस्टर को स्टेशनों में उस छमाही के बाद, जिस में वह पूरा भरा गया है, एक वर्ष तक रखा जाएगा. इसके बाद उसे पुराना प्रलेख माना जाएगा और तदनुसार उसका निपटारा किया जाएगा.

टिप्पणी : फिर भी अनिर्णीत जांचों या मामलों से संबंधित पुस्तकों को किसी भी परिस्थिति में पुराना प्रलेख नहीं माना जाएगा और ऐसी जांच या मामले के समापन से पहले, उन्हें रखने के लिए मूल आदेश देनेवाले पदाधिकारी से विशिष्ट आदेश प्राप्त किये बिना उनका निपटारा नहीं किया जाएगा.

2.9 स्टेशन मास्टरों का कार्य भार सौंपना/ग्रहण करना :

- (क) गाड़ी सिगनल रजिस्टर में किसी गाड़ी के लिए प्रविष्टि करने वाला स्टेशन मास्टर तब तक ड्यूटी पर रहेगा जब तक कि उस गाड़ी से संबंधित सभी प्रविष्टियां पूरी नहीं होती. इसका यह तात्पर्य है कि वह स्टेशन मास्टर जो किसी गाड़ी के लिए ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए "लाइन क्लियर" मांगता है तब तक ड्यूटी पर रहेगा जब तक कि "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन के बाहर" सिगनल प्राप्त नहीं होता है और इसकी अभिस्वीकृति नहीं दी जाती है. वह स्टेशन मास्टर, जो किसी गाड़ी के लिए ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए "लाइन क्लियर" देता है, तब तक ड्यूटी पर रहेगा जब तक कि गाड़ी नहीं पहुंचती है और "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन के बाहर" सिगनल नहीं दिया जाता है और उसकी अभिस्वीकृति नहीं दी जाती है.
- (ख) जब कभी स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी बदलें गाड़ी सिगनल रजिस्टर में आर-पार एक लकीर खींची जाएगी. ड्यूटी का भार सौंपकर जाने वाला स्टेशन मास्टर लकीर के ऊपर हस्ताक्षर करेगा और समय डालेगा और भारग्राही स्टेशन मास्टर लकीर के नीचे हस्ताक्षर करके समय डालेगा.
- (ग) ब्लॉक सेक्शन में संचालित होनेवाली गाड़ी के मामले में खंड (क) के पालन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु गाड़ी सिगनल रजिस्टर में अब तक की गई प्रविष्टियों में दोनों स्टेशन मास्टरों द्वारा आद्यक्षर किए जाएंगे. गाड़ी की प्रविष्टि का ठीक नीचे और लाइन के ऊपर नीचे बताये अनुसार प्रविष्टि की जाएगी (खंड (ख) देखें).

लाइन पर चल रही गाड़ी (सं. और विवरण) से ब्लाक सेक्शन अभी भी अवरुद्ध है.

दोनों स्टेशन मास्टर इस प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि खंड (ख) में अपक्षित है. स्टेशन डायरी में भी इस आशय की प्रविष्टि की जाएगी और दोनों स्टेशन मास्टर आद्यक्षर करेंगे.

- (घ) उपर्युक्त खंड (ग) में बताई गई कार्यविधि दुर्घटनाओं, इंजन की खराबियों आदि के उन मामलों में भी लागू होंगी, जब गाड़ियों के असाधारण रूप से विलंबित होने की संभावना रहती है और उस व्यक्ति/उन्हीं व्यक्तियों के लिए किसी गाड़ी के, जिसके लिए उसने/उन्होंने "लाइन क्लियर" दिया है/प्राप्त किया है, सभी संव्यवहार पूरा करने तक ड्यूटी पर बने रहना संभव नहीं है.

अध्याय-III

ब्लाक उपकरण के संचालन की पद्धति

3.1 उपस्कर तक पहुंच और उसका प्रचालन (सा.नि 5.08)

किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को सिगनलों, कांटो, विद्युत ब्लाक उपकरणों और विद्युत संचार उपकरणों अथवा रेल के कार्यचालन से संबंधित किसी अन्य उपकरण तक पहुंचने की या उसे प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3.2 एक ब्लाक स्टेशन से दूसरे ब्लाक स्टेशन तक गाड़ी के लिए सिगनल देना :

"एक्स" और "वाई" को दो क्रमिक ब्लाक स्टेशनों के रूप में लेते हुए, किसी गाड़ी को भेजने, लाइन क्लियर रद्द करने आदि की क्रमबद्ध कार्यविधि नीचे दी गई है. **नियंत्रित सेक्शनों पर लाइन क्लियर मांगने से पहले स्टेशन मास्टर कंट्रोलर की अनुमति प्राप्त करेगा.**

क) टोकन ब्लाक उपकरण - गाड़ी भेजना.

भेजने वाला स्टेशन "एक्स"		प्राप्त करने वाला स्टेशन "वाई"	
1.	स्टेशन मास्टर की चाबी अंदर डालें और घुमाएं.		
2.	"ध्यानाकर्षण" (काल एटेंशन) सिगनल दें.	3.	स्टेशन मास्टर की चाबी अंदर डालें और घुमाएं.
		4.	अभिस्वीकृति दें, टेलीफोन उठाएं और स्टेशन का नाम बताएं.
5.	अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर टेलीफोन उठाएं. स्टेशन का नाम बताएं.		
6.	यह सुनिश्चित करने के बाद कि सही स्टेशन ने प्रत्युत्तर दिया है, पूछें कि "क्या ----- गाड़ी के लिए लाइन क्लियर है ?"		
		7.	उस स्टेशन का सही होना सुनिश्चित करें, जिसके लिए "लाइन क्लियर" दिया जाना अपेक्षित है. यदि लाइन क्लियर है और "लाइन क्लियर" देने के लिए शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो सूचित करें कि ----- गाड़ी के लिए "लाइन क्लियर" है और प्राइवेट नं. -- दें. (उदाहरण के लिए 24 - दो, चार)
8.	प्राइवेट नंबर दोहराएं.		
9.	"ध्यानाकर्षण" सिगनल दें.		
		10.	अभिस्वीकृति दें.

11.	"क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल दें. अंतिम बीट को लंबे समय तक बजाएं.		
		12.	प्रचालन हैण्डल को "से गाड़ी आ रही है" स्थिति में घुमाएं. "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल की अभिस्वीकृति दें. अंतिम बीट को गैल्वेनोमीटर की सुई विचलित होने तक बजाएं.
13.	प्रचालन हैण्डल को "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में घुमाएं. एक टोकन बाहर आता है.		
14.	"ध्यानाकर्षण" सिगनल दें.		
		15.	अभिस्वीकृति दें और फोन उठाएं.
16.	टोकन नंबर और श्रेणी बताएं.		
		17.	श्रेणी सहित टोकन नंबर दोहराएं.
18.	क) अंतिम रोक सिगनल को, यदि कोई हो, ऑफ करें. ख) टोकन ड्राइवर को सौंपें. ग) गाड़ी के ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने पर अंतिम रोक सिगनल को, यदि कोई हो, फिर से "आन" करें.		
19.	"ध्यानाकर्षण" सिगनल भेजें.		
		20.	अभिस्वीकृति दें.
21.	"गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल दें.		
		22.	अभिस्वीकृति दें. फोन उठाएं और प्रस्थान समय नोट करें.
23.	टेलीफोन उठाएं और प्रस्थान समय बताएं.		
		24.	क) आगमन सिगनल "ऑफ" करें. ख) सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी तरह आ पहुँची है. ग) आगमन सिगनल को फिर से "ऑन" करें. घ) ड्राइवर से टोकन प्राप्त करें और इसका सही होना सुनिश्चित करें. च) टोकन को ब्लाक उपकरण में डालें.
		25.	"ध्यानाकर्षण सिगनल" दें, टेलीफोन उठाएं और आगमन समय बताएं.
26.	अभिस्वीकृति दें. टेलीफोन उठाएं और आगमन समय नोट करें.		
		27.	"गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" सिगनल दें. अंतिम बीट को लंबे समय तक बजाएं.

28.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं. "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" सिगनल की अभिस्वीकृति दें. अंतिम बीट को लंबे समय तक बजाएं.		
		29.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं.

टिप्पणी :- प्रचालन हैण्डल को घुमाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि गैल्वेनोमीटर की सुई नीचे बताये अनुसार सही रूप से विचलित होती है.

- i) "लाइन बंद" स्थिति में ब्लाक सेक्शन के दोनों उपकरण आवक और जावक बीट में दक्षिणावर्त विचलित होते हैं.*
- ii) ब्लाक सेक्शन के दोनों उपकरण "लाइन बंद है" की स्थिति में न होने पर और एक टोकन बाहर होने पर आवक और जावक बीट में सुई वामावर्त विचलित होती है.*
- iii) ब्लाक सेक्शन के प्रत्येक उपकरण के "लाइन बंद" स्थिति में न होने पर जावक और आवक बीट में सुई विपरीत दिशा में विचलित होती है.*

3.3 (क) गाड़ी के ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने से पहले "लाइन क्लीयर" रह करना (सा.नि. 14.22)

भेजने वाला स्टेशन "एक्स"		प्राप्त करने वाला स्टेशन "वाई"	
1.	"ध्यानाकर्षण" सिगनल दें.		
		2.	अभिस्वीकृति दें. फोन उठाएं.
3.	अभिस्वीकृति प्राप्त होने पर टेलीफोन उठाएं, प्राइवेट नंबर के साथ परिस्थितियां स्पष्ट करते हुए सहमति मांगें.		
		4.	सहमति दें और प्राइवेट नंबर दोहराएं.
5.	क) नील के बॉल टोकन उपकरण के लिए :- टोकन रिसीवर में टोकन डालें और टोकन रिसीवर हैण्डल को घुमाएं. ख) नील के टैबलेट को टोकन उपकरण के लिए :- टोकन स्लाइड को बाहर खींचें, टैबलेट टोकन के लिए बने स्थान में इसे रखें और टोकन स्लाइड को अंदर धकेलें.		

6.	"अंतिम सिगनल रद्द करें" सिगनल भेजें। अंतिम बीट को लंबे समय तक बजाएं।		
		7.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं। "अंतिम सिगनल रद्द करें" सिगनल की अभिस्वीकृति दें। अंतिम बीट को लंबे समय तक बजाएं।
8.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं।		

3.3 (ख) गाड़ी को पीछे धकेलने के बाद ब्लॉक सेक्शन को बंद करना :

भेजने वाला स्टेशन "एक्स"		प्राप्त करने वाला स्टेशन "वाई"	
1.	प्रचालन हैण्डल "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में है।		
		2.	परिचालन हैण्डल "से गाड़ी आ रही है" स्थिति में है।
3.	"ध्यानाकर्षण" सिगनल दें। अभिस्वीकृति मिलने पर फोन उठाएं और गाड़ी को पीछे धकेले जाने की सूचना दें।		
		4.	फोन उठाएं और सूचना नोट करें। सभी संबंधित सिगनल "आन" स्थिति में वापस लाएं।
5.	i) गाड़ी के पूरी तरह आ जाने पर, सुनिश्चित करें कि साधारण नियम 14.10 के अनुसार ब्लॉक सेक्शन को बंद करने की शर्तों का अनुपालन किया गया है। ii) "ध्यानाकर्षण" सिगनल दें। इसकी अभिस्वीकृति मिलने पर प्राइवेट नंबर सहित क्लियरेंस समय बताएं।		
		6.	i) "ध्यानाकर्षण" सिगनल की अभिस्वीकृति दें और टेलीफोन उठाएं। ii) प्राइवेट नंबर दोहराएं और आगमन समय नोट करें।
7.	"गाड़ी ब्लॉक सिगनल से बाहर" सिगनल दें और अंतिम बीट को लंबा करें।		
		8.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं। अंतिम बीट को लंबा करें।
9.	प्रचालन हैण्डल को "लाइन बंद" स्थिति में घुमाएं।		

3.4 द्विसंकेती सिगनल युक्त श्रेणी 'बी' इकहरी लाइन स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के बीच शंटिंग (साधारण नियम 8.11)

- क) इकहरी लाइन पर किसी श्रेणी "बी" स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के बाहरी सिगनल के बीच की लाइन तब तक अवरुद्ध नहीं की जाएगी, जब तक कि स्टेशन मास्टर द्वारा इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त रेल सेवक संचालन का प्रभारी नहीं है और जब तक कि :
- i) जिस ब्लाक सेक्शन में शंटिंग की जानी है, उसमें कोई गाड़ी आने वाली नहीं है और सभी संबंधित सिगनल "ऑन" स्थिति में नहीं हैं.

या

- ii) यदि कोई आने वाली गाड़ी या बाहरी सिगनल पर पहुंच चुकी हो और स्टेशन मास्टर स्वयं इस बात की तसल्ली नहीं कर ली है कि गाड़ी को उस सिगनल पर पूरी तरह से रोक नहीं दी गई है.

"आगे यह कि घने, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब दृश्यता स्पष्ट न हो या रात के समय या ऐसे स्टेशनों में, जहां स्टेशन मास्टर कार्यलाय से संबंधित बाहरी सिगनल दिखाई न पड़ता हो, खंड (ii) के अंतर्गत लाइन अवरुद्ध नहीं की जाएगी"

- ख) जहां शंट चाबी उपलब्ध न हो, केवल टी.806 दिया जाएगा. जहां उपलब्ध हो, टी.806 के अतिरिक्त शंट चाबी दी जाएगी.
- ग) गाड़ी के सबसे पिछले वाहन पर या यदि पिछले स्टेशन की ओर कोई वाहन न लगे हों तो इंजन पर एक पिछली बत्ती/पिछला बोर्ड लगाया जाएगा जिससे यह "अंतिम सिगनल रद्द करे" सिगनल देने से पहले ऐसे संकेत के रूप में कार्य करें कि सभी वाहन पूरी तरह वापस आ गए हैं.

3.4.1 बहुसंकेती सिगनल युक्त श्रेणी "बी" इकहरी लाइन स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के बीच शंटिंग : (साधारण नियम 8.12)

- क) अंतिम रोक सिगनल/शंटिंग सीमा बोर्ड से बाहर और विपरीत प्रथम रोक सिगनल तक लाइन अवरुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि स्टेशन मास्टर द्वारा इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त रेल सेवक संचालन का प्रभारी नहीं है और जिस ब्लाक सेक्शन में शंटिंग की जानी है उसमें कोई गाड़ी भी आने वाली नहीं है.
- ख) जहां शंट चाबी उपलब्ध न हो, केवल टी.806 दिया जाएगा. जहां उपलब्ध हो, टी.806 के अतिरिक्त शंट चाबी दी जाएगी.

- ग) गाड़ी के सबसे पिछले वाहन पर या यदि पिछले स्टेशन की ओर कोई वाहन न लगे हों तो इंजन पर एक पिछली बत्ती/पिछला बोर्ड लगाया जाएगा जिससे यह "अंतिम सिगनल रद्द करे" सिगनल देने से पहले ऐसे संकेत के रूप में कार्य करें कि सभी वाहन पूरी तरह वापस आ गए हैं.

3.4.2 द्विसंकेती और बहुसंकेती सिगनल क्षेत्र में इकहरी लाइन पर प्रथम रोक सिगनल के आगे शंटिंग

जब "एक्स" का किसी गाड़ी को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रथम रोक सिगनल से बाहर शंट करना अपेक्षित हो, तो वह कारण बताते हुए, "वाई" से लाइन क्लीयर प्राप्त करेगा जिसे "एक्स" और "वाई" के गाड़ी सिगनल रजिस्टर में रिकार्ड भी किया जाएगा. इस संचलन को गाड़ी संचलन के रूप में माना जाएगा. इसके बाद स्टेशन मास्टर ड्राइवर को सेक्शन के लिए लागू "प्रस्थान प्राधिकार" और "एक्स" पर लौटने के लिए हस्तलिखित मेमो जारी करेगा. इस प्रयोजन के लिए प्रस्थान और आगमन सिगनलों को "ऑफ" किया जा सकता है.

3.5 ब्लाक सेक्शन के टोकन द्वारा नियंत्रित दूरस्थ साइडिंग (साधारण नियम 3.35)

- क) कतिपय ब्लाक सेक्शनों में रनिंग लाइन से आरंभ होने वाली दूरस्थ साइडिंगों की व्यवस्था की गई है. ऐसी साइडिंगों को जाने वाली रनिंग लाइन के कांटों पर पाशन व्यवस्था है और साइडिंग पाशन का नियंत्रण और प्रचालन ब्लाक सेक्शन के टोकन द्वारा किया जाता है.
- i) कतिपय साइडिंगों पर, चाबी टोकन एक्सचेंजर (साइडिंग चाबी उपस्कर) प्रयोग में है. इन साइडिंगों साइडिंग चाबी को निर्मुक्त करने के लिए एक्सचेंजर में चाबी टोकन डाला जाता है, जिसका उपयोग साइडिंग का ताला खोलने के लिए किया जाएगा.
- ii) ऐसे सेक्शनों पर, जिनका संचालन नील (बॉल या टैबलेट) के टोकन उपकरण द्वारा किया जाता है और जहां साइडिंग पाशन में ऐसे टोकनों को सीधे नहीं डाला जा सकता है, वहां साइडिंग पर एक टोकन चाबी एक्सचेंजर की व्यवस्था की गई है. साइडिंग चाबी निर्मुक्त करने के लिए उपकरण में बॉल या टैबलेट डाली जाएगी, जिसे साइडिंग पाशन में डाली जाएगी और साइडिंग में और इससे बाहर शंटिंग करने के लिए पाशन को खोला जाएगा.
- ख) व्यस्त सेक्शनों पर जहां ऐसी साइडिंगों के भीतर हो रहे कार्य से नियमित गाड़ी सेवाओं में कोई बाधा नहीं डाली जानी चाहिए अर्थात् जहां साइडिंग में भेजी गई शंटिंग गाड़ी के किसी भी ब्लाक स्टेशन में वापस आने से पहले ही गाड़ी सेवा को जारी रखने के लिए सहायक टोकन (अवरोध ब्लाक) उपकरण की व्यवस्था की जाती है. एक उपकरण बाजू वाले दो ब्लाक स्टेशनों में से किसी एक ब्लाक स्टेशन में और दूसरा साइडिंग में ही. इस प्रकार की व्यवस्था से गाड़ी को साइडिंग में शंट करने के बाद मेन लाइन के लिए कांटों को सेट और ताला बंद करना तथा मेन लाइन गाड़ी सेवाओं को जारी रखते हुए ब्लाक सेक्शन को क्लीयर करना संभव हो जाता है.

- ग) साइडिंगों के संचालन के लिए विस्तृत अनुदेश संबंधित स्टेशनों के संचालन नियमों में समाविष्ट किए जाएंगे.

3.6 गाड़ियों को लेने के लिए स्टेशन मास्टर और केबिन/केबिनों के बीच प्राइवेट नंबरों का आदान-प्रदान

आगमन लाइन नामित करने से लेकर निकट सिगनल/सिगनल रूटिंग पर स्टेशन मास्टर का अपना नियंत्रण निर्मुक्त करने और प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान तक की जाने वाली कार्रवाई क्रम नीचे बताया गया है :

क) ड्यूटी स्टेशन मास्टर :

- i) स्टेशन मास्टर या केबिन सहायक स्टेशन मास्टर (यदि ब्लाक उपकरण केबिन में स्थित हों) द्वारा किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देते ही स्टेशन मास्टर उस लाइन का निर्धारण करेगा जिस पर गाड़ी लेनी है और स्वयं तसल्ली कर लेगा कि पर्याप्त दूरी सहित आगमन लाइन क्लीयर और अवरोध सहित है.
- ii) इसके बाद वह टेलीफोन पर देने के केबिन के केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/केबिनमैन को एक साथ गाड़ी नंबर, विवरण, आगमन का संभावित समय क्या गाड़ी रुक रही है या सीधी जाने वाली है और इसके आगमन के लिए नामित लाइन की सूचना देगा.
- iii) दोनों केबिनों के केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/केबिनमैन सम्मुख छोर का इन विवरणों को दोहराते हुए अभिस्वीकृति देंगे.

ख) सम्मुख छोर पर केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/केबिनमैन

- i) स्टेशन मास्टर से उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने पर केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/केबिनमैन नामित लाइन पर गाड़ी आगमन के लिए अपने छोर पर सभी संबंधित कांटों को सही प्रकार सेट करेगा और सभी संबंधित अनुमुख कांटों को ताला बंद करेगा.
- ii) इसके बाद वह स्वयं तसल्ली कर लेगा कि नामित लाइन क्लीयर और अवरोध रहित है.
- iii) फिर वह निम्नलिखित सुनिश्चित करने के बाद अनुमुख छोर के केबिन के केबिन सहायक स्टेशन मास्टर/केबिन मैन को स्पष्ट आश्वासन देगा कि :-

क) नामित आगमन लाइन क्लीयर है और अवरोध रहित है (उस लाइन का नंबर स्पष्ट रूप से बताते हुए)

ख) उक्त लाइन पर गाड़ी के आगमन के लिए उसके छोर पर सभी संबंधित कांटों सही प्रकार सेट किए गए हैं.

- ग) सभी सम्मुख कांटे तालाबंद किए गए हैं, और
- घ) सभी समपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद हैं और ताला लगाए गए हैं और उसे नामित आगमन लाइन से संबंधित निकट/रूटिंग सिगनल पर अपना स्लाट निर्मुक्त करने को कहेगा.

ग) **अनुमुख छोर पर कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन :**

- i) सम्मुख छोर के कैबिनमैन से स्पष्ट आश्वासन मिलने पर कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन नामित लाइन पर गाड़ी के आगमन के लिए अपने छोर के सभी संबंधित कांटे को सही प्रकार सेट करेगा और स्वयं तसल्ली करेगा कि पर्याप्त दूरी सहित नामित आगमन लाइन क्लीयर है और अवरोध रहित है.
- ii) इस बात की पुष्टि करेगा कि सभी समपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद हैं और उनमें ताला लगाया गया है.
- iii) सम्मुख छोर के कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन को प्राइवेट नंबर सूचित करेगा और फिर संबंधित निकट/रूटिंग सिगनल पर अपना स्लाट निर्मुक्त करेगा.

घ) **सम्मुख छोर पर कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन :**

अनुमुख छोर के कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन द्वारा उसे सूचित प्राइवेट नंबर प्राप्त होने पर, कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन यह सूचित करने के लिए कि गाड़ी के आगमन के लिए दोनों छोर के कैबिनों पर सभी कार्य पूरे हो गए हैं, ड्यूटी स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नंबर सूचित करेगा.

च) **ड्यूटी स्टेशन मास्टर :**

ड्यूटी स्टेशन मास्टर सम्मुख छोर के कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन से प्राइवेट नंबर प्राप्त होने पर, यदि गाड़ी के आगमन के लिए सब कुछ तैयार हो तो सम्मुख छोर के कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन को एक प्राइवेट नंबर देगा और संबंधित निकट/रूटिंग सिगनल पर अपना नियंत्रण निर्मुक्त करेगा.

छ) **सम्मुख छोर पर कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन :**

कैबिन सहायक स्टेशन मास्टर/कैबिनमैन, स्वयं तसल्ली कर लेने के बंद कि संबंधित स्लाट संकेतक "ऑफ" संकेत दिखा रहा है, आगमन सिगनलों को "आफ" करेगा.

- ज) चूंकि प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान का प्रयोजन अवरुद्ध लाइन के लिए सिगनल "ऑफ" किए जाने की संभावना को निरस्त कर देना है. इसलिए जहां रेलपथ परिपथन/धुरा गणक की व्यवस्था की गई है और वह कार्य कर रहा है वहां प्राइवेट नंबरों के आदान-प्रदान की कोई आवश्यकता नहीं है.
- झ) जिन स्टेशनों पर केंद्रीय केबिनों की व्यवस्था है, वहां सिगनल पर स्टेशन मास्टर का नियंत्रण निर्मुक्त करने से पहले केबिन और ड्यूटी स्टेशन मास्टर के बीच ऊपर बताए अनुसार प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान किया जाएगा.

3.7 "ध्यानाकर्षण" सिगनल :

- क) जब ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर का ध्यान ब्लाक उपकरण पर आकर्षित कराना आवश्यक हो तब "ध्यानाकर्षण" सिगनल दिया जाए.
- ख) यह पता लगाने के लिए की सही ब्लाक स्टेशन ही संपर्क में है और उस गाड़ी का विवरण और नंबर बताने के लिए जिसके लिए "लाइन क्लीयर" अपेक्षित है और साथ ही यह पता लगाने के लिए कि क्या अगला ब्लाक स्टेशन को ध्यानाकर्षण सिगनल भेजा जाए.
- ग) "वाई" का ध्यान आकर्षित होने तक "एक्स" एक बीट देकर "वाई" का ध्यान आकर्षित करेगा. "वाई" स्टेशन एक बीट द्वारा अभिस्वीकृति देकर अपना ध्यान आकर्षित होने की सूचना देगा.

3.8 "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल-कब भेजा जाए :

- क) "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल पैरा 3.7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार यह पता लगाने के बाद ही भेजा जाएगा कि अगला स्टेशन सिगनल स्वीकार करने की स्थिति में है.
- ख) "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पिछली पूर्ववर्ती गाड़ी के लिए "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" सिगनल प्राप्त नहीं हो जाता है.

3.9 "लाइन क्लीयर" मांगने से पहले किए जाने वाले पूर्वोपाय :

"वाई" के "एक्स" से "लाइन क्लीयर" मांगने से पहले अपने गाड़ी सिगनल रजिस्टर की जांच यह पता लगाने के लिए करेगा कि -

- क) "एक्स"- "वाई" ब्लाक सेक्शन पर से गुजरी पिछली गाड़ी के लिए "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल प्राप्त हो गया है और इसकी प्रविष्टि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में की गई है और ब्लाक सेक्शन क्लीयर है.

- ख) किसी अन्य गाड़ी के लिए "वाई" से लाइन क्लीयर प्राप्त नहीं किया गया है.
- ग) विपरीत दिशा में किसी गाड़ी के लिए "वाई" को लाइन क्लीयर नहीं दिया गया है.
- घ) गाड़ी के लिए एक प्राइवेट नंबर प्राप्त कर लिया गया है.
- च) प्रचालन हैंडल "लाइन बंद" स्थिति में है और यह कि नील के बॉल या टैबलेट उपकरण के मामले में "अंतिम रोक सिगनल" नियंत्रण चाबी, यदि उपलब्ध कराई गई है, उपकरण में है.

3.10 "क्या लाइन क्लीयर है" - कब मांगा जाए :

गाड़ी के आरंभिक स्टेशनों पर यात्री गाड़ियों के निर्धारित प्रस्थान समय से 5 मिनट पहले और माल गाड़ियों के मामले में गाड़ी की संरचना होने पर जब गाड़ी आरंभ होने के लिए तैयार हो, तब "क्या लाइन क्लीयर है" मांगा जाएगा. मध्यवर्ती स्टेशनों पर 5 मिनट से कम रुकने वाली सभी गाड़ियों के लिए गाड़ी के दिखाई पड़ते ही और सभी गाड़ियों के लिए जो उस स्टेशन से सीधी गुजरने वाली हैं, "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल प्राप्त होने के समय से गाड़ी के सीधे गुजरने से 7 मिनट पहले या जब चालन समय 7 मिनट से कम हो, तो "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल प्राप्त होने के तत्काल बाद "क्या लाइन क्लीयर है" मांगा जाएगा.

3.11 "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल स्वीकार करना और "लाइन क्लीयर" सिगनल भेजना :

- क) "क्या लाइन क्लीयर है" सिगनल प्राप्त होने पर यदि उन शर्तों का अनुपालन किया गया हो जिनके अंतर्गत "लाइन क्लीयर" दिया जा सकता है, तो अगला ब्लॉक स्टेशन "लाइन क्लीयर है" सूचित करने के लिए निर्धारित सिगनल भेजते हुए सिगनल स्वीकार करेगा.
- ख) ब्लॉक उपकरण की खराबी के मामले को छोड़कर, किसी भी गाड़ी को किसी ब्लॉक स्टेशन निकलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि लाइन क्लीयर सिगनल प्राप्त न हो गया हो.

3.12 "लाइन क्लीयर" देने से पहले किये जानेवाले पूर्वोपाय :

"वाई" के "एक्स" को लाइन क्लीयर देने से पहले वह अपने गाड़ी सिगनल रजिस्टर की जांच यह पता लगाने के लिए करेगा कि :

- क) "एक्स"- "वाई" ब्लॉक सेक्शन पर से गुजरी पिछली गाड़ी के लिए "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल प्राप्त हो गया है और इसकी प्रविष्टि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में की गई है और यह भी कि ब्लॉक सेक्शन क्लीयर है.

- ख) "एक्स" को किसी अन्य गाड़ी के लिए लाइन क्लियर नहीं दिया गया है.
- ग) विपरीत दिशा में किसी गाड़ी के लिए "एक्स" से लाइन क्लियर प्राप्त नहीं किया गया है.
- घ) गाड़ी के लिए एक प्राइवेट नंबर दिया गया है, और
- च) परिचालन हैंडल "लाइन बंद" स्थिति में है और यह कि "नील के बॉल" या "टैबलेट" उपकरण के मामले में अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी, यदि उपलब्ध कराई गई है, उपकरण में है.

3.13 'लाइन क्लियर' देना :

पैरा 3.11 और 3.12 में विनिर्दिष्ट पूर्वोपायों का पालन करने के बाद "वाई" पैरा 3.2 (क) में बताये अनुसार "लाइन क्लियर" देगा. नील के बॉल या टैबलेट टोकन ब्लाक उपकरण के मामले में गैल्वेनोमीटर की सुई यदि दाई ओर झुकती है, तो टोकन निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा.

3.14 सुपुर्दगी के लिए टोकन सुरक्षित रखना :

- क) स्टेशन मास्टर टोकन को इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध पाउच में रखेगा और जब तक इसे ड्राइवर को सुपुर्द नहीं किया जाता, तब तक अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखेगा. टोकन पर अंकित स्टेशनों के नाम छिद्रों में से दिखाई देने चाहिए.
- ख) यदि पाउच उपलब्ध नहीं है, तो ड्राइवर को टोकन एक मेमो के साथ सौंपा जाएगा. सीधी जानेवाली गाड़ियों को, निर्धारित न होने पर भी इस प्रयोजन के लिए रोका जाए.

3.15 प्रस्थान प्राधिकार (सा.नि. 14.08)

- क) ड्राइवर अपनी गाड़ी को ब्लाक स्टेशन से तब तक नहीं ले जायेगा जब तक कि उसे इकहरी लाइन पर निम्न प्रकार "प्रस्थान प्राधिकार" नहीं दिया गया है,
 - i) ब्लाक सेक्शन के लिए विद्युत ब्लाक उपकरण से निकाला गया टोकन द्वारा
या
 - ii) स्टेशन मास्टर द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पेपर लाइन क्लियर टिकट द्वारा
या
 - iii) सहायक नियम 6.02 में निर्धारित प्राधिकार द्वारा
- ख) जिस ब्लाक स्टेशन से गाड़ी आरंभ हुई थी उस स्टेशन पर इसके वापस लौटने और ब्लाक सेक्शन को क्लियर करने पर टोकन या पेपर लाइन क्लियर टिकट या सहायक नियम 6.02 में निर्धारित प्राधिकार की अवधि, जिसके साथ ड्राइवर ने ब्लाक सेक्शन में प्रवेश किया है, समाप्त हो जाती है. यदि इसी गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करना अपेक्षित हो, तो ड्राइवर को नियमों के अंतर्गत नया "प्रस्थान प्राधिकार" सौंपा जाएगा.

3.16 ड्राइवर को टोकन ("प्रस्थान प्राधिकार") की सुपुर्दगी :

- क) जब टोकन ब्लाक उपकरण कार्यचालन स्थिति में हों तो टोकन ड्राइवर के लिए "प्रस्थान प्राधिकार" है. स्टेशन मास्टर ड्राइवर को टोकन स्वयं सुपुर्द करेगा और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है तो किसी सक्षम रेल सेवक द्वारा इसे ड्राइवर को सौंपा जाए. आवक टोकन सौंपने के बाद ही ड्राइवर को जावक टोकन सौंपा जाएगा.
- ख) रुकनेवाली गाड़ी के ड्राइवर को टोकन सुपुर्द करना :
- स्टेशन पर 5 मिनट से अधिक समय तक रुकनेवाली गाड़ियों के मामले में जावक टोकन ड्राइवर को गाड़ी छूटने के ठीक पहले उस स्थान पर सुपुर्द किया जाएगा, जहां इंजन सामान्यतया खड़ा होता है.
 - 5 मिनट या इससे कम समय के लिए रुकने वाली गाड़ियों के मामले में जावक टोकन ड्राइवर को स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने सुपुर्द किया जाएगा.
 - स्टेशन पर शंटिंग संचलन करने वाली गाड़ी के ड्राइवर को जावक टोकन तब तक सुपुर्द नहीं किया जाएगा जब तक कि शंटिंग पूरी नहीं हो जाती और गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो जाती.
 - जब एक से अधिक गाड़ियां भेजनी हो तो स्टेशन मास्टर ड्राइवरों को सुपुर्दगी के लिए एक ही व्यक्ति के हाथ एक समय में एक से अधिक टोकन नहीं भेजेगा. ऐसी परिस्थितियों में, स्टेशन मास्टर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि सही गाड़ी के ड्राइवर को सही टोकन सौंपा जाता है.
- ग) न रुकनेवाली गाड़ी के ड्राइवर को टोकन की सुपुर्दगी :
- ड्राइवर को टोकन स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने या नामित पिक अप पाइंट पर सुपुर्द किया जाएगा. रात के समय जली हुई टार्च प्रदर्शित की जाएगी ताकि ड्राइवर टोकन ले सके.
- घ) जब गाड़ी में दो इंजन लगे हो तब "प्रस्थान प्राधिकार" की सुपुर्दगी :
- जब गाड़ी में दो इंजन एक साथ युग्मित हों या एक इंजन गाड़ी के आगे दूसरा गाड़ी के पीछे लगा तो "प्रस्थान प्राधिकार" अगले इंजन के ड्राइवर को दिया जाएगा.
- च) ड्राइवर "प्रस्थान प्राधिकार" की जांच करें (सा.नि. 14.09)
- ड्राइवर यह सुनिश्चित करेगा कि उसको दिया गया "प्रस्थान प्राधिकार" कार्यचालन प्रणाली के अंतर्गत उचित प्राधिकार है और उसी ब्लाक सेक्शन से संबंधित है, जिसमें वह प्रवेश करने वाला है और यदि उक्त प्राधिकार लिखित रूप में है, तो वह हर प्रकार से संपूर्ण है और उस पर स्याही से विधिवत् पूरे हस्ताक्षर किए गए हैं.

- ii) यदि ऊपर बतायी गई शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया, तो ड्राइवर अपनी गाड़ी उस स्टेशन से आगे या तक तब तक नहीं ले जायेगा, जब तक कि भूल या त्रुटि को सुधारा नहीं जाता है.
- iii) क्षतिग्रस्त टोकन को "प्रस्थान प्राधिकार" के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए. क्षतिग्रस्त टोकन वह टोकन है, जिसे न तो ब्लाक उपकरण के भीतर डाला जा सकता है और न ही उसमें से निकाला जा सकता है, या जिस पर श्रेणी या संख्या या स्टेशन कूट आद्यक्षर पहचाने जाने से परे विकृत हो गए हों.

छ) "प्रस्थान प्राधिकार" के बिना ब्लाक सेक्शन में गाड़ी (सा.नि. 6.06)

- i) यदि कोई ड्राइवर किसी ब्लाक सेक्शन में "प्रस्थान प्राधिकार" के बिना या उचित "प्रस्थान प्राधिकार" के बिना प्रवेश करता है, तो साधारण नियम 6.06 (1) और (2) में यथा विनिर्दिष्ट कार्रवाई करने के बाद, परिस्थितियों का वर्णन करते हुए इस घटना की रिपोर्ट निकटतम स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ब्रेक मेन या सहायक ड्राइवर के जरिये भेजी जाए.
- ii) जब पिछले स्टेशन को रिपोर्ट भेजी जाती है, तो स्टेशन मास्टर ब्लाक संचालन को विधिवत् निलंबित करते हुए अगले स्टेशन तक जाने के लिए गाड़ी के ड्राइवर को पेपर लाइन क्लियर टिकट भेजने की व्यवस्था करेगा. गाड़ी सिगनल रजिस्टर में उचित प्रविष्टियां दर्ज की जानी चाहिए.
- iii) अगले स्टेशन को रिपोर्ट भेजे जाने के मामले में स्टेशन मास्टर तत्काल कंट्रोल और ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को इसकी सूचना देगा और ब्लाक संचालन को विधिवत् निलंबित करते हुए अपने स्टेशन पर आनेवाली गाड़ी के लिए सतर्कता आदेश भेजेगा. गाड़ी सिगनल रजिस्टर में उचित प्रविष्टियां दर्ज की जानी चाहिए.
- iv) गाड़ी के पहुँचने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर पर स्थित स्टेशन को गाड़ी के अपने स्टेशन पर पूरी तरह पहुँचने की सूचना संदेश द्वारा प्राइवेट नंबर सहित देगा.
- v) पेपर लाइन क्लियर टिकट या सतर्कता आदेश के साथ आगे बढ़ने से पहले ड्राइवर गाड़ी की सुरक्षा के लिए सामने रखे गए पटाखों को उठायेगा.
- vi) यदि चालन के दौरान टोकन या लाइन क्लियर टिकट खो जाता है या भूल से कहीं रख दिया जाता है या ब्लाक सेक्शन पर साइडिंग में टोकन एक्सचेंजर बक्स या गाड़ी चाबी पाशन से टोकन निकाला नहीं जा सकता है, तो ड्राइवर अगले ब्लाक स्टेशन तक जाकर स्टेशन मास्टर को घटना की रिपोर्ट कर सकता है.

ज) टोकन क्षेत्र संकेतक बोर्ड :

टोकन रहित ब्लाक उपकरणों या दोहरी लाइन ब्लाक उपकरणों द्वारा संचालित ब्लाक सेक्शन से गुजरकर किसी टोकन ब्लाक उपकरणों द्वारा संचालित ब्लाक सेक्शन में जाते समय ड्राइवरों को यह याद दिलाने के लिए, कि उनके पास टोकन या लिखित प्राधिकार है, ऐसे ब्लाक सेक्शनों की ओर जानेवाली लाइन पर टोकन क्षेत्र संकेतक बोर्डों की व्यवस्था की गई है.

3.17 "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल

- क) "एक्स" से गाड़ी छूटने पर "एक्स", अगले स्टेशन "वाई" को "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल भेजेगा और "वाई" इसकी अभिस्वीकृति देगा.
- ख) जब इस प्रकार की अभिस्वीकृति दी जाती है, तो ब्लाक सेक्शन को किसी अन्य गाड़ी के विरुद्ध ब्लाक किया गया माना जाएगा.

3.18 ड्राइवर द्वारा स्टेशन पर टोकन सौंप देना :

- क) ड्राइवर आवक टोकन को स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने या इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित स्थान पर गिरा देगा. ड्राइवर द्वारा इसे गिराने के तत्काल बाद, स्टेशन मास्टर आवक टोकन को स्वयं उठाएगा या इसके लिए एक सक्षम रेल सेवक को प्रतिनियुक्त करेगा.
- ख) यदि आवक टोकन खुला हुआ है अर्थात् पाउच में नहीं है, तो उसे नीचे गिराया नहीं जाएगा, बल्कि रुकना. निर्धारित न होनेवाली गाड़ियों को इस प्रयोजन के लिए स्टेशन में रोक कर टोकन को स्टेशन मास्टर या किसी सक्षम रेल सेवक को व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाएगा.

3.19 ब्लाक उपकरण के अंदर टोकन डालना :

- क) स्टेशन मास्टर आवक टोकन को उपकरण के अंदर डालने से पहले वह -
- स्वयं तसल्ली कर लेगा कि गाड़ी पूरी तरह आ पहुंची है,
 - सुनिश्चित करेगा कि उस गाड़ी के लिए "ऑफ" किये गये सभी आगमन सिगनलों को फिर से "आन" कर दिया गया है.
 - सुनिश्चित करेगा कि टोकन हर प्रकार से सही है और उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, और
 - टोकन में यदि धूल हो तो उसे साफ कर देगा.
- ख) स्टेशन मास्टर इसके बाद टोकन को उपकरण के अंदर डालेगा और प्रत्येक उपकरण के लिए बताए अनुसार सेक्शन को क्लीयर करेगा.

3.20 "गाड़ी ब्लाक सेक्शन के बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल देना (सा.नि. 14.10)

- क) गाड़ी के पहुँचने या अवरोध हटाने के बाद अगले ब्लाक स्टेशन द्वारा घंटी सिगनल के निर्धारित कूट से "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल दिया जाएगा.
- ख) ऐसा सिगनल दिये जाने से पहले स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि -
- गाड़ी पूरी तरह आ पहुँची है या सेक्शन को अवरुद्ध करने के कारण को हटा दिया गया है, तथा
 - जिन शर्तों के अंतर्गत "लाइन क्लियर" दिया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है.

3.21 टोकन को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में अंतरित न किया जाए न ही गलत टोकन सौंपा जाए :

आनेवाली गाड़ी के टोकन को, किसी भी परिस्थिति में, ब्लाक सेक्शन को बंद किये या नया "लाइन क्लियर" प्राप्त किये बिना दूसरी जानेवाली गाड़ी को सौंपा नहीं जाएगा.

3.22 प्राइवेट नंबर :

- क) प्रत्येक स्टेशन मास्टर को दो प्राइवेट नंबर शीट सप्लाई की जाएगी. जारी किये गये प्राइवेट नंबर शीटों का जिस क्रम में उपयोग किया जाना है, उसके अनुसार यातायात निरीक्षक इन शीटों को नंबर दिया जाएगा और उन पर यातायात निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे. प्राइवेट नंबर की इन शीटों को ड्यूटी स्टेशन मास्टर द्वारा जिनको ये शीटें जारी की गई हैं, अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में तालाबंद करके रखा जाएगा. प्राइवेट नंबर शीट का एक पृष्ठ नमूने के तौर पर नीचे दिया गया है.

दिनांक		दिनांक		दिनांक		दिनांक	
प्राइवेट नंबर	गाड़ी नंबर	प्राइवेट नंबर	गाड़ी नंबर	प्राइवेट नंबर	गाड़ी नंबर	प्राइवेट नंबर	गाड़ी नंबर
25		24		21		18	
32		15		64		29	
29		16		34		57	
37		27		18		21	
23		39		15		42	
12		43		22		18	
31		58		26		35	
10		14		38		42	
14		10		47		66	
56		11		55		48	
18		17		69		74	
44		32		12		83	

- ख) लाइन क्लियर मांगने वाले स्टेशन मास्टर को हर एक गाड़ी, जिसके लिए स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देता है, एक प्राइवेट नंबर दिया जाएगा. दोनों स्टेशन मास्टर गाड़ी के लिए दिए गए और प्राप्त प्राइवेट नंबर को गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दर्ज करेंगे. क्रमागत गाड़ियों को नंबर उसी क्रम में आबंटित किए जाएंगे, जिस क्रम में उपयोग किये जा रहे शीट में नंबर मुद्रित हैं. जब किसी गाड़ी को कोई नंबर आबंटित किया जाता है तो, उस पर से एक आड़ी रेखा खींचते हुए उसे काट दिया जाएगा और गाड़ी का नंबर, जिसके लिए इसे जारी किया है और इसके जारी किये जाने की तारीख इस प्रयोजन के लिए बनाए गए कॉलम में दर्ज की जाएगी. यदि कोई प्राइवेट नंबर किसी ऐसी गाड़ी को आबंटित किया जाता है, जो बाद में रद्द कर दी गई हो, तो वह प्राइवेट नंबर बाद वाली किसी गाड़ी को पुनः आबंटित नहीं किया जाएगा.
- ग) यदि उपयोग किया जानेवाला अगला नंबर और अंतिम जारी किया गया नंबर एक ही हो, तो भेजनेवाला अपनी शीट में उस नंबर को रद्द कर देगा और "पिछले प्राइवेट नंबर के समान" अभ्युक्ति लिखकर उस पर हस्ताक्षर कर अगला नंबर जारी करेगा. यदि पता लगने से पहले यही नंबर पहले ही दे दिया गया हो, जिस स्टेशन को यह नंबर दिया गया है उसे इसकी सूचना दी जाएगी ताकि उस नंबर को रद्द किया जा सके और अगला नंबर जारी किया जा सके. प्राइवेट नंबर प्राप्त करनेवाले स्टेशन मास्टर को यह देखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि लाइन क्लियर देनेवाले एक ही स्टेशन से कोई दो क्रमिक प्राइवेट नंबर प्राप्त नहीं हुए हैं.
- घ) किसी भी व्यक्ति को (निरीक्षक पदाधिकारियों को छोड़कर) इस शीट तक पहुंच की अनुमति नहीं होगी. प्रत्येक शीट को, समाप्त हो जाने के बाद, मुहरबंद लिफाफे में सेक्शन के यातायात निरीक्षक को भेजा जाए, जो इसे एक अन्य शीट से प्रतिस्थापित करेगा.
- च) एक समय में केवल एक ही शीट उपयोग में रहेगा. इस बात का ध्यान रखा जाए कि बाजूवाले स्टेशनों को भिन्न-भिन्न नंबर वाली शीट की सप्लाई की जाती है. प्राइवेट नंबर शीट व्यक्तियों के नाम जारी नहीं की जाएगी बल्कि किसी पद के लिए जारी की जाएगी. ड्यूटीरत कर्मचारियों के पास दो से अधिक प्राइवेट नंबर शीट उपलब्ध नहीं होनी चाहिए. जारी करने से पहले प्राइवेट नंबर शीट पर क्रमिक संख्या डाली जाएगी.
- छ) स्टेशन का दौरा करने वाले यातायात निरीक्षक या कोई अन्य निरीक्षक पदाधिकारी यह देखें कि प्राइवेट नंबरों को ठीक तरह से काटा गया है और प्रत्येक नंबर के सामने गाड़ी नंबर और तारीख दर्ज की गई है.
- ज) जब प्रयुक्त प्राइवेट नंबर शीट खो जाती है या भूल से कहीं रख दी जाती है, तो स्टेशन मास्टर भविष्य में उपयोग के लिए सप्लाई की गई प्राइवेट नंबर शीट, यदि उपलब्ध हो, का उपयोग करेगा. स्टेशन मास्टर कारण बताते हुए नयी प्राइवेट नंबर शीट के लिए तत्काल यातायात निरीक्षक को लिखेगा.
- झ) उपयोग की गई प्राइवेट नंबर शीट को उस छमाही के बाद, जिसके दौरान उन्हें पूरा किया गया है, छह महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें पुराना रिकार्ड माना जाएगा और उनका निपटारा किया जाएगा.

अध्याय - IV

सतर्कता आदेश

4.1 सतर्कता आदेश (सा.नि. 4.09) :

- (क) जब कभी, लाइन की मरम्मत किए जाने या किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप विशेष पूर्वोपाय आवश्यक हो, तो जिन किलोमीटर के बीच ऐसे पूर्वोपाय आवश्यक हैं, ऐसे पूर्वोपाय के कारण और गाड़ी किस गति से चलायी जाएगी, का विवरण देते हुए ड्राइवर को एक सतर्कता आदेश सौंपा जाएगा जो जहां ऐसे पूर्वोपाय आवश्यक हो, उसके ठीक पहले रूकनेवाले स्टेशन पर या ऐसे अन्य स्टेशनों पर और इस प्रकार सौंपा जाएगा जैसा कि विशेष अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित है.
- (ख) लंबे समय से निरंतर मरम्मत के मामले में उप नियम (1) लागू नहीं होते हैं. जहां ऐसे स्थान से पहले पर्याप्त दूरी पर स्थावर सिगनल लगाए गए हों और संबंधित रनिंग कर्मचारियों को अधिसूचित कर दिया गया हो.
- (ग) उप नियम (1) में उल्लिखित सतर्कता आदेश सफेद कागज पर हरे रंग के अक्षरों में होगा और इसे तैयार कर उस पर पूरे हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आगे यह कि अस्थायी उपाय के रूप में यह सतर्कता आदेश, फार्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हरी विकर्ण पट्टी के साथ सफेद कागज पर भी हो सकता है.

टिप्पणी : सतर्कता आदेश जारी करने के संबंध में विशेष अनुदेशों के लिए साधारण व सहायक नियम का परिशिष्ट-I देखें.

अध्याय - V

विशेष सिगनलों का उपयोग और आपात स्थिति में कार्यविधि

5.1 "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल को अस्वीकृति और "अवरोध खतरा" सिगनल भेजना :

- क) यदि किसी कारण से अगला स्टेशन "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल स्वीकार करने में असमर्थ है, तो ऐसा स्टेशन "अवरोध खतरा सिगनल" भेजकर उसे अस्वीकार करेगा.
- ख) यदि अगला ब्लाक स्टेशन "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल स्वीकार करने की स्थिति में न हो, तो गाड़ी को स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा और उसे तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल नहीं दिया जाता और अगले ब्लाक स्टेशन द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता.
- ग) जब "वाई" गाड़ी लेने की अस्वीकृति सूचित करता है, तो "एक्स" और "वाई" दोनों स्टेशन गाड़ी सिगनल रजिस्टर में विधिवत् हस्ताक्षर करके "लाइन क्लियर अस्वीकृत" शब्द प्रविष्ट करेंगे और कारण सहित सूचना प्राप्त होने का समय दर्ज करेंगे.
- घ) जब "वाई" "अवरोध हटाया गया" सिगनल भेजता है, तो "एक्स" और "वाई" दोनों इसे गाड़ी सिगनल रजिस्टर में समय सहित दर्ज करेंगे.

5.2 "अवरोध खतरा सिगनल" का विशेष उपयोग :

- क) "एक्स" को लाइन क्लियर देने के बाद "वाई" को पता लग सकता है कि किसी पुल या रेलपथ का कोई भाग क्षतिग्रस्त है या "एक्स"- "वाई" ब्लाक सेक्शन पर कोई अन्य गाड़ी या अवरोध है. इन परिस्थितियों में, किसी दुर्घटना को रोकने के लिए "वाई" तत्काल "एक्स" को "अवरोध खतरा सिगनल" भेजेगा.
- ख) "अवरोध खतरा सिगनल" प्राप्त होने पर "एक्स" गाड़ी को "एक्स" - "वाई" ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने से रोकेगा. यदि वह गाड़ी रोकने में सफल हो जाता है, तो लाइन क्लियर रद्द कर दिया जाएगा.
- ग) अवरोध हटाने के बाद ही "एक्स" या "वाई" इस गाड़ी को या किसी अन्य गाड़ी को "एक्स"- "वाई" ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है.

5.3 "अंतिम सिगनल रद्द करो" (सा.नि. 14.22) :

- क) "अंतिम सिगनल रद्द करो" सिगनल ब्लाक स्टेशन से दिए गए अंतिम सिगनल को रद्द करता है, जहां से यह भेजा गया है.

- ख) जहां "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल भेज दिया गया है और बाद में यह पाया गया है कि यह जिस गाड़ी से संबंधित है, उसे शंटिंग या अन्य प्रयोजनों के लिए रोका जाता है या उस ब्लॉक स्टेशन पर वापस चला गया है, जहां से सिगनल भेजा गया था, तो अगले ब्लॉक स्टेशन को "अंतिम सिगनल रद्द करो" सिगनल भेजा जाएगा ताकि पूर्ववर्ती सिगनल को रद्द किया जा सके.
- ग) इकहरी लाइन पर जब लाइन क्लियर रद्द कर दिया गया है, तब विपरीत दिशा में किसी गाड़ी को तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे रद्दकरण की अभिस्वीकृति और इस बात का उल्लेख करते हुए कि जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर दिया गया था, उसे रोक दिया जाएगा.
- घ) पैरा 3.3(क) और 3.4(ख) में बतायी गयी कार्यविधि का पालन किया जाएगा. "लाइन क्लियर" रद्द करने के बाद स्टेशन मास्टर, गाड़ी सिगनल रजिस्टर में उस गाड़ी से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति कॉलम में ऐसा करने का कारण भी दर्ज करेगा.

5.4 "गलत दिया गया सिगनल" - सिगनल

- क) जब कभी गलत बीट दिये गए हैं या जब कभी गलत बीट दिये गए हैं या जब कभी प्राप्त किये गये बीट समझ में नहीं आते हैं, तो अनियमितता का पता लगाने वाला स्टेशन मास्टर "गलत दिया गया सिगनल" सिगनल देगा. इसकी अभिस्वीकृति के बाद जो सिगनल दिया जाना चाहिए था, उसे स्पष्ट रूप से दोहराया जाएगा.
- ख) यदि सिगनल दोहराये जाने के बाद भी उपर्युक्त गलती को सुधारा नहीं जाता, तो ब्लॉक संचालन को निलंबित किया जाएगा.

5.5 असामान्य रूप से विलंबित गाड़ियां (सा.नि. 6.04) :

- क) "एक्स" से सामान्य चालन समय अनुमत करने के बाद, यदि कोई यात्री गाड़ी दस मिनट के भीतर "वाई" पर नहीं पहुंचती है या माल गाड़ी बीस मिनट के भीतर "वाई" पर नहीं पहुंचती है, तो "एक्स"- और "वाई" के स्टेशन मास्टर तत्काल एक दूसरे से संपर्क करेंगे और कारण का पता लगायेंगे तथा
 - i) नियंत्रित सेक्शनों पर कंट्रोलर को सूचना देंगे.
 - ii) विलंबित गाड़ी के ठौर-ठिकाने और स्थिति तथा यदि आवश्यक हो, तो अपक्षित सहायता के प्रकार का पता लगाने के लिए किसी सक्षम रेल सेवक को ब्लॉक सेक्शन में भेजने की व्यवस्था करेंगे.
 - iii) अन्य ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसा कि मामले के गुणों के आधार पर आवश्यक समझी जाए.

- ख) यात्री गाड़ी और माल गाड़ी के गार्ड/ड्राइवर, जिन्हें वी एच एफ सेट (वाकी - टॉकी सेट) और सुवाह्य फील्ड टेलीफोन दिए गए हैं, ब्लाक सेक्शन में क्रमशः दस मिनट और बीस मिनट से अधिक विलंबित होने पर पहले वी एच एफ सेट पर निकटवर्ती स्टेशन मास्टर को गाड़ी के विलंब का कारण और संभावित अवधि की सूचना देंगे. यदि वी एच एफ सेट पर स्टेशन मास्टर से संपर्क करना संभव न होने के मामले में वे नियंत्रित सेक्शनों पर कंट्रोलर को गाड़ी के विलंब का कारण और संभावित अवधि की सूचना देने के लिए सुवाह्य फील्ड टेलीफोन का उपयोग करेंगे.
- ग) नियंत्रक, इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उन स्टेशनों को, जहां दुर्घटना राहत गाड़ियां और चिकित्सा राहत गाड़ियां उपलब्ध हैं, सतर्क करेगा ताकि वे आगे की सूचना मिलने पर दुर्घटना स्थल तक तत्काल पहुँचने के लिए तैयार रहें. वह मुख्य कर्मीदल नियंत्रक/कर्मीदल नियंत्रक को संबंधित स्टेशन मास्टर को दुर्घटना राहत गाड़ी तैयार रखने के लिए प्रारंभिक चेतावनी भी जारी करेगा और यदि आवश्यक हो, तो चिकित्सा राहत गाड़ी को दुर्घटना स्थल तक भेजने के लिए एक इंजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेगा.
- घ) यदि परिस्थितियों की मांग हो तो उल्लिखित कार्रवाई समय से पूर्व भी की जा सकती है.

5.6 "गाड़ी को रोको और उसकी जांच करो" सिगनल :

- क) जब "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर, अपने स्टेशन से गुजरती हुई गाड़ी में कुछ असाधारण (पिछली बत्ती या पिछले बोर्ड न होने के अलावा), जैसे माल का नीचे गिरना, वाहन में आग लगना या टूटा धुरा या संयोजन देखें, जिसके कारण ऐसी गाड़ी को अगले स्टेशन पर रोकना आवश्यक हो जाता है, तो अगले स्टेशन "वाई" को "रोको और गाड़ी की जांच करो" सिगनल भेजते हुए देखी गई अनियमितता की सूचना देगा. "वाई" स्टेशन का स्टेशन मास्टर इस सिगनल को दोहराते हुए इसकी अभिस्वीकृति देगा. वह गाड़ी के पहुँचने पर उसकी जांच करेगा, इस प्रयोजन के लिए वह सीधी जानेवाली गाड़ी को भी अनियमित रूप से रोकेगा और निवारक कार्रवाई करेगा. यह सुनिश्चित करने के बाद कि लाइन क्लियर है, वह स्टेशन "एक्स" को "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" सिगनल भेजेगा, जो इस बात की सूचना होगी कि सब ठीक है.
- ख) यदि "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर, कोई असाधारण घटना देखकर अशांकित हो कि इससे पिछले ब्लाक सेक्शन को क्षति पहुँची होगी या अवरोध हुआ होगा तो वह पिछले स्टेशन "डब्ल्यू" के स्टेशन मास्टर को इस अनियमितता की सूचना देगा. जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि सब ठीक है दोनों स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को चाहिए कि वे ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने वाली गाड़ियों को सतर्कता आदेश जारी करें.

5.7 "बिना पिछली बत्ती/पिछली कौंध बत्ती या पिछले बोर्ड के गाड़ी गुज़री" सिगनल (सा.नि. 4.17)

- क) यदि "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर यह देखे कि उसके स्टेशन से गाड़ी बिना पिछली बत्ती या पिछले बोर्ड के, जैसा भी मामला हो, गुजर रही है तो उसे चाहिए कि वह "वाई" स्टेशन को गाड़ी बिना पिछली बत्ती/पिछली कौंध बत्ती या पिछली बत्ती के गुजरी सिगनल भेजे. "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर, उस समय तक पिछले स्टेशन को "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से बाहर" सिगनल नहीं देगा जब तक कि उसे "वाई" स्टेशन से गाड़ी के पूरी तरह पहुंच की रिपोर्ट नहीं मिल जाती. यदि "एक्स" स्टेशन के स्टेशन मास्टर को गाड़ी के विभाजित होने का संदेह हो तो वह "गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल भेजेगा और पैरा 5.8 के अनुसार कार्रवाई करेगा. "वाई" स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिगनल प्राप्त होते ही उस गाड़ी को रोकेगा बेशक उसका रुकना निर्धारित न हो और उसकी जांच करेगा. यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाए कि केवल पिछला बोर्ड सही है या पिछली बत्ती/पिछली कौंध बत्ती बुझ गई है तो उसे ठीक किया जाए और उसके बाद ही गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से बाहर सिगनल भेजा जाए.
- ख) यदि "वाई" स्टेशन का स्टेशन मास्टर जांच के दौरान यह देखता है कि गाड़ी का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी रिपोर्ट दुर्घटना मानकर की जाए और "डब्ल्यू", "एक्स" और "वाई" स्टेशन के स्टेशन मास्टर इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें.

5.8 "गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल :

- क) यदि "एक्स" स्टेशन से गाड़ी गुजरते समय यह देखा जाए कि गाड़ी का कुछ भाग नहीं दिखाई पड़ रहा है तो "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर हथ रोक सिगनल प्रदर्शित नहीं करेगा बल्कि चिल्लाकर या इशारे से या अन्य साधन से ड्राइवर या गार्ड का ध्यान आकर्षित करेगा. "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर पिछले स्टेशन "डब्ल्यू" को "गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल भेजेगा और अगले स्टेशन "वाई" के स्टेशन मास्टर को "गाड़ी बिना पिछली बत्ती/पिछली कौंध बत्ती या पिछले बोर्ड के गुजरी" सिगनल भेजेगा. "डब्ल्यू" स्टेशन का स्टेशन मास्टर "गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल प्राप्त करते ही तत्काल लाइन पर के वाहनों या गाड़ी की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करेगा, विशेषकर यदि ढलान हो तो, वह अनुवर्ती गाड़ी को "लाइन क्लीयर" नहीं देगा और यदि गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में पहले से ही हो तो उसे प्रथम रोक सिगनल पर रोक देगा और ड्राइवर को आनेवाले खतरे की सूचना देगा. यदि इस गाड़ी को लिया जा सकता है और किसी लाइन पर खड़ा किया जा सकता है तो भाग निकले डिब्बे दिखाई पड़ने से पहले ऐसे किया जा सकता है और ऐसा करना सुरक्षित है.
- ख) यदि गाड़ी विभाजित हो गई हो, तो राहत इंजन 30 मिनट के बाद ही भेजा जाए अर्थात् सबसे धीमी गति से चलने वाली माल गाड़ी के चालन समय से अधिक, जिसका आकलन "गाड़ी विभाजित हो गई" सिगनल प्राप्त होने के समय से किया जाए.
- ग) ब्लॉक सेक्शन क्लीयर हो जाने के बाद "गाड़ी ब्लॉक सेक्शन से बाहर" या "अवरोध हटाया गया" सिगनल भेजा जाए.

5.9 "वाहन ब्लाक सेक्शन से निकल भागे" सिगनल :

क) यदि कोई इंजन या वाहन "एक्स"- "वाई" ब्लाक सेक्शन में निकल भागे हो तो "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर "वाई" स्टेशन के स्टेशन मास्टर को "वाहन ब्लाक सेक्शन से निकल भागे" सिगनल भेजेगा और ब्लाक सेक्शन में दोनों सिरों से किसी भी गाड़ी को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि यह सूचना प्राप्त न हो जाए कि इंजन या वाहन "एक्स" स्टेशन पर वापस लाया गया है. यदि सबसे धीमी गति वाली माल गाड़ी के चलन समय से 30 मिनट हो जाने पर निकल भागे इंजन या वाहन नहीं पहुंचाते तो एक राहत इंजन भेजा जाए. इस समय का आकलन "वाहन ब्लाक सेक्शन में निकल भागें" सिगनल प्राप्त करने के समय से किया जाना चाहिए.

ख)

- i) स्टेशन "एक्स" से "वाहन ब्लाक सेक्शन से निकल भागे" सिगनल प्राप्त करने पर "वाई" स्टेशन का स्टेशन मास्टर इसे दोहराकर इसकी अभिस्वीकृति देगा, "वाई"- "एक्स" ब्लाक सेक्शनों में किसी भी गाड़ी को प्रवेश होने से रोकेगा और उन परिस्थितियों में दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करेगा.
- ii) यदि उसका स्टेशन, अगले स्टेशन जिस ओर इंजन या वाहन भाग रहे है, की दिशा में ढलान में है, या उस दिशा में अगले स्टेशन से गाड़ी उसके स्टेशन की ओर आ रही है, चाहे ढलान हो या न हो, वह भाग निकले वाहनों को रोकने के लिए अपनी शक्तियों के अनुरूप हर संभव प्रयास करेगा. वह ऐसा वाहन दिखाई पड़ने से पहले पटरियों को रेत मिट्टी या छोटे-छोटे पत्थरों से जितनी दूरी तक संभव हो ढकते हुए करेगा और वाहनों को लेने के लिए कांटों को सीधी लूप लाइन या बंद साइडिंग के लिए सेट करेगा. यदि पटरी पर लगाए गए अवरोध से वाहन नहीं रुकें, तो लूप लाइन के अनमुख कांटों को ऐसे सेट करके ताला बंद किया जाए कि वाहन उस पर से गुजरे. भाग निकले वाहनों को लूप लाइन पर लेना बेहतर होगा ताकि उन्हें बंद साइडिंग पर लिया जा सके.
- iii) यदि ऐसी कोई गाड़ी नहीं आ रही हो जिससे वाहन की टक्कर हो सकती है और लाइन ढलान पर न हो, तो वाहनों को स्टेशन से जाने दिया जा सकता है. लेकिन अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को तत्काल इसकी चेतावनी दे दी जाए.
- iv) यदि वाहन में यात्री हो, तो सामान्यतः उसे बंद साइडिंग की ओर नहीं मोड़ा जाए, जब तक कि अधिक गंभीर दुर्घटना को ढालने के लिए ऐसा किया जाना अपेक्षित हो.

- v) नियंत्रित सेक्शनों पर नियंत्रक को भी तत्काल सूचित किया जाए.
 - vi) यदि गाड़ी का एक भाग या ब्रेक यान निकल भागा हो, तो स्टेशन मास्टर गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए पटरी पर 3 पटाखें रखेगा.
 - vii) सेक्शनों के दोनों छोरों के स्टेशन मास्टर वाहन का पता लगाने के लिए सक्षम रेल सेवक तैनात करेंगे और यह पता लगाने के बाद कि वाहन रुक गया है और सुरक्षित किया गया है, एक दूसरे के परामर्श से वाहन को वापस लाने के लिए सेक्शन में सहायता भेजेंगे.
- ग) जब यह मालूम हो कि लाइन पुनः क्लियर है तो "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" या "अवरोध हटा दिया गया" सिगनल भेजा जाएगा और यह इस बात का सूचक होगा कि अवरोध हटा दिया गया है और ब्लाक सेक्शन क्लियर है.

5.10 सरकारी या रेल दूरसंचार कर्मचारियों के दूरसंचार तारों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित पूर्वोपाय :

- क) सरकारी या रेल दूरसंचार शाखा द्वारा किन्हीं दो स्टेशनों के बीच तारों पर कार्य आरंभ करने से पहले, जिसमें गाड़ी सिगनल व्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना हो, कार्य के प्रभारी सरकारी या रेल दूरसंचार पदाधिकारी ब्लाक सेक्शन के दोनों सिरों के स्टेशन मास्टरों को निम्नलिखित फार्म में सूचित करेंगे.

सेवा में स्टेशन मास्टर, एक्स और वाई दूरसंचार लाइन पार्टी ----- सेक्शन से ----- तक दि. ----- को ----- से ----- बजे तक तारों पर कार्य आरंभ करेगी. अभिस्वीकृति दें. <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> (पदनाम) (स्टेशन) (तारीख) </div>
--

- ख) दोनों स्टेशन मास्टर तत्काल सूचना की अभिस्वीकृति देंगे क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उक्त अभिस्वीकृति प्राप्त होने तक कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा. यदि सूचना प्रभारी सरकारी दूरसंचार पदाधिकारी से प्राप्त हुई हो, तो स्टेशन मास्टर तत्काल इसकी सूचना सिगनल निरीक्षक और मंडल रेल प्रबंधक (यातायात) और सिगनल व दूरसंचार को कंट्रोल के माध्यम से देगा. यदि सूचना, प्रभारी रेल दूरसंचार पदाधिकारी से प्राप्त होती हो, तो स्टेशन मास्टर मंडल रेल प्रबंधक/यातायात व सिगवदू को इसे तत्काल सूचित करेगा.

- ग) उपर्युक्त चेतावनी प्राप्त होने पर ब्लाक संचालन निलंबित करना आवश्यक नहीं है. बल्कि स्टेशन मास्टरों को ब्लाक उपकरण में कांटेक्ट की आशंका हो या उसमें कोई खराबी देखें, तो ब्लाक संचालन को निलंबित करने के अनुदेशों का पालन करने के लिए विशेष सावधान रहेंगे.
- घ) इन पूर्वोपायों का तब तक पालन किया जाएगा जब तक कि दूरसंचार तारों पर कार्य पूरा होने की सूचना प्राप्त नहीं हो जाती. कार्य पूरा होने की सूचना सर्वसंबंधित को दी जाएगी.
- च) तारों पर कार्य करने से संबंधित नियमों की एक प्रति सभी इंजीनियरी पर्यवेक्षकों, सामान्य लाइन निरीक्षकों और सरकारी दूरसंचार विभाग के उप निरीक्षकों को दी जाएगी. सभी उप मंडल अधिकारी, निर्माण और पर्यवेक्षी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए स्वयं कार्रवाई करेंगे कि सभी लाइन कर्मचारियों को ये नियम समझा दिए गए हैं और स्वयं तसल्ली करेंगे कि इन नियमों को पूरी तरह समझ लिया है और इनका विधिवत पालन किया जाएगा. इसी प्रकार जब ब्लाक लाइन की तारें सिगनल व दूरसंचार विभाग के अधीन हो, तो सिगनल व दूरसंचार विभाग भी इन नियमों का पालन करेगा.
- छ) स्टेशन मास्टर साधारणतया लाइन तार पर किए जानेवाले कार्य के लिए तब तक अनुमोदन देंगे, जब तक कि उस सेक्शन पर से कोई महत्वपूर्ण या विशेष गाड़ी गुजरने वाली न हो, जब यह अनिवार्य है कि ब्लाक उपकरण उचित कार्य करने की स्थिति में होंगे.

अध्याय - VI

लारी, पुश ट्राली, साइकिल ट्राली, मोटर ट्राली, रेल डॉली तथा रेल एवं सडक वाहन

6.1 लारियों/पुश ट्रालियों/साइकिल ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/रेल डॉलियों और रेल एवं सडक वाहन के लिए लाइन ब्लाक करना.

लारियों/पुश ट्रालियों/साइकिल ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/रेल डॉलियों और रेल एवं सडक वाहन के संचालन की विस्तृत कार्यविधि हेतु सहा.नियम 15.18, 15.25, 15.26 और 15.27 देखें.

अध्याय - VII

ब्लाक उपकरणों की जांच

7.1 "जांच" सिगनल :

केवल ब्लाक उपकरणों की जांच के लिए ही "जांच" सिगनल का उपयोग किया जाएगा.

7.2 जांच के लिए प्राधिकृत व्यक्ति :

- क) ब्लाक उपकरण और इनसे संबंधित उपस्करों की जांच केवल सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक और सिगवदूरसंचार विभाग के अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा की जाए. "जांच" सिगनल का आदान-प्रदान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक या सिगवदूरसंचार विभाग का अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी ब्लाक सेक्शन के एक छोर पर न हो और "जांच" सिगनल की प्राप्ति इस बात की सूचना मानी जाएगी कि सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक या सिगवदूरसंचार विभाग का अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी वहां उपस्थित है.
- ख) जब कभी एक छोर पर ऐसा कोई प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित हो, जो उपकरण की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह अपनी ओर से उपकरण की जांच करने के लिए स्टेशन मास्टर से अनुरोध कर सकता है. स्टेशन मास्टर ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा और दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर के साथ जांच सिगनल का आदान-प्रदान करेगा. दोनों स्टेशन मास्टर अपने-अपने गाड़ी सिगनल रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करेंगे.

7.3 जांच के दौरान ब्लाक सेक्शन का क्लियर रहना :

उपकरण और इनसे संबंधित उपस्करों की जांच किसी गाड़ी के लिए लाइन क्लियर देने या प्राप्त करने के बाद नहीं की जाएगी.

7.4 जांच की कार्यविधि :

- क) "एक्स" और "वाई" से ब्लाक उपकरण की जांच की कार्यविधि निम्नानुसार है :
- i) यह मानते हुए कि सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक "एक्स" पर है, वह पहले "वाई" के साथ जांच सिगनलों का आदान-प्रदान करेगा.
- ii) इसके बाद सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक "वाई" को "क्या लाइन क्लियर है" सिगनल देगा, जो इसकी अभिस्वीकृति देगा और "लाइन क्लियर" देगा. सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक सही प्रचालन हेतु ब्लाक उपकरण और अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण, यदि कोई हो, की जांच करेगा.
- ख) ब्लाक उपकरणों की जांच के बाद पैरा 3.3 (क) के अनुसार लाइन क्लियर रद्द किया जाएगा.
- ग) यह प्रचालन "वाई" के स्टेशन मास्टर द्वारा जांच सिगनल से आरंभ कर विपरीत दिशा में दोहराया जाएगा.
- घ) जब कभी सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक या कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी खराबी या अनुरक्षण कार्य के बाद या नया उपकरण लगाते समय ब्लाक संचालन की बहाली के लिए उपकरण को खोलता है, तो वह उपर्युक्त पैरा 7.4 (क) (i) व (ii) में यथा निर्धारित ब्लाक उपकरण की जांच करेगा.

- च) सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक या अन्य कोई प्राधिकृत पदाधिकारी अनुरक्षण कार्य के दौरान या खराबियों की मरम्मत के बाद अंतिम रोक सिगनल की यदि कोई हो, जांच करेगा.
- छ) जांच के बाद स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि ब्लाक उपकरण और अन्य उपस्कर फिर से सामान्य स्थिति में किए गए हैं और जहां-कहीं अपेक्षित हो, ताला बंद किए गए हैं. गाड़ी सिगनल रजिस्टर में अंतिम गाड़ी के लिए प्रविष्टि के नीचे ठीक अगली पंक्ति में लाल स्याही से निम्न प्रकार प्रविष्टि की जाएगी और सिगनल निरीक्षक/विद्युत सिगनल अनुरक्षक या अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी और स्टेशन मास्टर दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.

----- बजे उपकरण को ----- के लिए खोला गया. -----
 स्टेशन के स्टेशन मास्टर के साथ जांच सिगनल का आदान-प्रदान किया गया. टोकन नं. ----- निकाला गया और उपकरण में उसे पुनः रख दिया गया.
 हस्ताक्षर -----
 सिगनल व दूरसंचार विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी
 ब्लाक उपकरण की जांच की गई और इसे ठीक पाया गया.
 हस्ताक्षर -----
 स्टेशन मास्टर

7.5 खराब टोकनों को निकालना या नए टोकनों की व्यवस्था :

जब ब्लाक उपकरण में से कोई खराब टोकन निकाला जाता है या नया टोकन डाला जाता है, तो निकाले गए या डाले गए टोकन की श्रेणी और नंबर, इसका कारण और समय जब ऐसा किया गया दर्शाते हुए गाड़ी सिगनल रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि की जाएगी. यह प्रविष्टियां लाल स्याही में की जाएंगी और सिगनल निरीक्षक या कोई अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और स्टेशन मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा.

7.6 टोकन उपकरणों का प्रतिस्थापन :

क) जब कभी किसी स्टेशन में उपयोग किए जा रहे टोकन ब्लाक उपकरण को उसी प्रकार और श्रेणी के दूसरे उपकरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो स्टेशन मास्टर स्वयं तसल्ली कर लेगा कि वे सभी टोकन, जो पुराने ब्लाक उपकरण में थे, नये उपकरण में अंतरित किए गए हैं. सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा गाड़ी सिगनल रजिस्टर में अंतरित किए प्रत्येक टोकन के अलग-अलग नंबर के साथ उपकरण को बदलने की तारीख और समय लिखकर लाल स्याही में प्रविष्टि की जाएगी और इस पर वह हस्ताक्षर करेगा. उपकरण की अपने द्वारा की गई जांच और इसके परिणाम से संबंधित अगली अभ्युक्ति सहित इस प्रविष्टि पर स्टेशन मास्टर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे.

ख) जब कभी स्टेशन पर उपयोग किए जा रहे किसी ब्लाक उपकरण का रेलों पर पहले से ही उपयोग हो रहे हैं, विभिन्न श्रेणी या प्रकार के उपकरण द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा, लाल स्याही से की गई प्रविष्टि में, प्रत्येक में टोकन के अलग-अलग नंबर सहित हटाये गए या प्रतिस्थापित उपकरण के नंबर, श्रेणी और प्रकार का उल्लेख होगा.

7.7 टोकन उपकरणों में टोकनों का तुलन :

- क) स्टेशन मास्टर गाड़ी सिगनल रजिस्टर के अभ्युक्ति कालम में ब्लाक उपकरण में टोकन डालने या निकालने के बाद प्रत्येक ब्लाक उपकरण से संबंधित टोकनों की कुल संख्या दर्ज करेगा.
- ख) प्रतिदिन "शून्य" (0) बजे ब्लाक सेक्शन के दोनों छोरों के स्टेशन मास्टर अपने-अपने ब्लाक उपकरण में शेष टोकनों की जांच करेंगे. यह संख्या ब्लाक सेक्शन के लिए उपलब्ध कराई गई टोकनों की कुल संख्या के बराबर होनी चाहिए.
- ग) जब ब्लाक उपकरण में शेष टोकनों की संख्या छह हो जाती है और उनके खत्म हो जाने की संभावना हो तो स्टेशन मास्टर संबंधित सिगनल निरीक्षक को इसकी सूचना देंगे. सिगनल व दूरसंचार पदाधिकारी टोकनों के तुलन के लिए प्रथम उपलब्ध साधन से रवाना होंगे.
- घ) उपकरण में से निकाले गए या उसमें डाले गए टोकनों की संख्या दर्शाते हुए गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से प्रविष्टि की जाएगी. इस प्रविष्टि पर सिगनल निरीक्षक या प्राधिकृत पदाधिकारी और स्टेशन मास्टर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे.
- च) तुलन करते समय, टोकन "लाइन बंद" स्थिति में निकाले जाने चाहिए.

7.8 सिगनल व दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित होने पर "अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी" निकालने की कार्यविधि :

जब जांच हेतु सिगनल व दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा "अंतिम रोक सिगनल" नियंत्रण चाबी अपेक्षित हो, तो नीचे बतायी गई कार्यविधि का पालन किया जाएगा.

- क) सिगनल व दूरसंचार विभाग का एक प्राधिकृत पदाधिकारी स्टेशन मास्टर को लिखित मांग पत्र देगा.
- ख) मांगपत्र प्राप्त होने पर, स्टेशन मास्टर सामान्य पद्धति के अनुसार "लाइन क्लीयर" प्राप्त करेगा.
- ग) टोकन को तत्काल ब्लाक उपकरण में वापस डाल दिया जाएगा.
- घ) जांच के लिए अंतिम रोक सिगनल की नियंत्रण चाबी सिगनल व दूरसंचार पदाधिकारी को दी जाएगी.
- च) जांच के बाद जब "अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी" लौटाई जाती है, तो स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा कि अंतिम रोक सिगनल "ऑन" स्थिति में है, अंतिम रोक सिगनल लीवर सामान्य स्थिति में है और नियंत्रण चाबी उपकरण के ताले में डालेगा.
- छ) "लाइन क्लीयर" सामान्य पद्धति में रद्द किया जाएगा.
- ज) गाड़ी सिगनल रजिस्टर में दोनों स्टेशन मास्टरों द्वारा जांच के संबंध में लाल स्याही से प्रविष्टियां की जाएगी. इसमें निम्न शामिल होने चाहिए :-
 - i) उस स्टेशन पर, जहां अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी निकालना अपेक्षित हो :- तारीख, टोकन नंबर और नियंत्रण चाबी निकाले जाने का समय साथ ही ब्लाक उपकरण को सामान्य स्थिति में करने का समय.
 - ii) "लाइन क्लीयर" देने वाले स्टेशन पर :- "लाइन क्लीयर" देने का प्रयोजन और समय साथ ही ब्लाक उपकरण को सामान्य स्थिति में करने का समय.
- झ) सभी सिगनल अनुरक्षक और सिगवदूसं विभाग के पर्यवेक्षीय कर्मचारी अंतिम रोक सिगनल की जांच करने के लिए प्राधिकृत है.

7.9 ब्लाक संचालन उपस्कर में हस्तक्षेप करने से पहले सहमति अपेक्षित है : (सा.नि. 14.03)

स्टेशन मास्टर की पूर्व सहमति के बिना कोई भी रेल सेवक मरम्मत करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ब्लाक संचालन उपस्कर या उनके संयोजनों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

7.10 सिगनल व दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा ब्लाक उपकरण का अनुरक्षण :-

जब सिगनल अनुरक्षक या सिगनल निरीक्षक को ऐसे ब्लाक उपकरण की मरम्मत/सफाई करनी हो, जो उपयोग में है, तो निम्नलिखित कार्यविधि का पालन किया जाएगा।

क) सिगनल निरीक्षक/सिगनल अनुरक्षक और स्टेशन मास्टर दोनों स्वयं तसल्ली कर लेंगे कि सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है।

ख) सिगनल अनुरक्षक या सिगनल निरीक्षक, स्टेशन मास्टर से ब्लाक उपकरण ग्रहण कर लेगा और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में उसके ऐसा करने की तारीख और समय दर्ज करेगा। स्टेशन मास्टर प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा। प्रविष्टि निम्नलिखित फार्म में होगी-
"..... ओर का ब्लाक उपकरण बजे सफाई/मरम्मत के लिए लिया गया."

हस्ताक्षर/-----

हस्ताक्षर/-----

स्टेशन मास्टर

सिगनल निरीक्षक/सिगनल अनुरक्षक

इस बीच, गाड़ियों का संचालन, यदि कोई हो, उसी प्रकार किया जाए जिस प्रकार ब्लाक उपकरण के खराब हो जाने पर किया जाता है, जब तक कि ब्लाक उपकरण स्टेशन मास्टर को वापस सौंपा नहीं जाता।

ग) जब उपकरण की सफाई या मरम्मत का कार्य पूरा हो जाता है और उपकरण को तालाबंद किया जाता है, उपकरण "लाइन बंद है" स्थिति दर्शाता है तो जिस व्यक्ति ने अनुरक्षण हेतु ब्लाक उपकरण ग्रहण किया था, स्टेशन मास्टर को उपकरण सौंपेगा और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टि करेगा।

..... ओर का ब्लाक उपकरण बजे सौंपा गया।

हस्ताक्षर/-----

हस्ताक्षर/-----

स्टेशन मास्टर

सिगनल निरीक्षक/सिगनल अनुरक्षक

घ) कार्यभार सौंपते और ग्रहण करते समय, स्टेशन मास्टर ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को उक्त तथ्य, टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा और ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर का स्टेशन मास्टर, अपने गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तदनुरूपी प्रविष्टियां करेगा।

अध्याय - VIII

टोकन ब्लाक उपकरणों की खराबी

8.1 टोकन ब्लाक उपकरण की खराबी (सा.नि. 14.13) :

निम्नलिखित परिस्थितियों में टोकन ब्लाक उपकरण बाधित समझा जाएगा और टोकन संचालन निलंबित कर दिया जाएगा :-

- क) टोकन ब्लाक उपकरण पर "ध्यान आकर्षण" प्राप्त नहीं किया जा सकता है.
- ख) घंटी कूट अस्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहे हैं या पूर्णतः खराब हो गए हैं.
- ग) घंटी कूट देने या प्राप्त करने पर गैल्वनोमीटर विचलित नहीं होता है या "गलत दिया गया सिगनल" सिगनल देने और इसकी अभिस्वीकृति देने के बाद भी गलत संकेत दर्शाता है.
- घ) उचित "घंटी कूट" के आदान-प्रदान और टोकन ब्लाक उपकरण के सही प्रचालन के बाद भी टोकन नहीं निकाला जा सकता.
- च) उचित "घंटी कूट" के आदान-प्रदान के बिना और ब्लाक उपकरण के सही प्रचालन के बिना टोकन निकाला जा सकता है.
- छ) टोकन को निकालने के दौरान या निकालने के बाद किसी भी प्रकार से टूटना या क्षतिग्रस्त होना.
टिप्पणी : मद (च) और (छ) के मामले में, टोकन, स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और इसे सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी को सौंपा जाएगा.
- ज) उस स्टेशन पर, जहां कोई गाड़ी रवाना होने के तैयार है, उपकरण में टोकन नहीं है.
टिप्पणी : ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर के उस स्टेशन से जब कोई गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार हो जहां सभी टोकन एकत्रित हो गए हैं तो स्टेशन मास्टरों द्वारा स्वयं टोकन संचालन बहाल किया जाएगा.
- झ) प्राप्त किसी टोकन को उपकरण में डाला नहीं जा सकता या इससे डालते समय अटक जाता है.
- ट) यह मानने का कारण हो कि ब्लाक तारों और किसी अन्य परिपथ के बीच कांटैक्ट हो गया है.
टिप्पणी : क) यदि ब्लाक तार और किसी अन्य परिपथ के बीच कांटैक्ट बना हुआ है, तो घंटी पर अनियमित बीट की संभावना है. दो ब्लाक तारों के बीच कांटैक्ट से एक ब्लाक उपकरण पर दिये गये सिगनल, निकटवर्ती उपकरण पर दोहराए जाएंगे.
ख) गाड़ी सिगनल के लिए ब्लाक उपकरण से जुड़े टेलीफोन को भी खराब माना जाएगा और सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत न किए जाने तक टेलीफोन द्वारा संचालन बहाल नहीं किया जाएगा.
- ठ) ब्लाक उपकरण या उसके बैटरी काउंटर का ताला खुला पाया जाता है या सील टूटी हुई है.
- ड) दोहरा तार सिगनल युक्त स्टेशनों पर ब्लाक उपकरणों के साथ अंतर्पाशित प्रथम रोक सिगनल/अंतिम रोक सिगनल चाबी या अंतिम रोक सिगनल नियंत्रण चाबी खो गई है या खराब हो गई है.

- टिप्पणी : क) खो गई चाबी मिल जाने पर, यदि वह अच्छी स्थिति में हो, तो स्टेशन मास्टर स्वयं ब्लाक संचालन बहाल करेंगे.
- ख) खराब चाबी स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी और सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी को सौंपी जाएगी.
- ढ) किसी स्टेशन पर ब्लाक उपकरण में से निकाला गया या ड्राइवर को दिया गया या गाड़ी के ड्राइवर द्वारा किसी स्टेशन में गिराया गया टोकन नहीं मिलता हो.
- त) किसी ब्लाक सेक्शन से संबंधित किसी टोकन का दूसरे स्टेशन तक अतिवहन किया गया हो.
- थ) किसी गाड़ी का ड्राइवर उस ब्लाक सेक्शन से संबंधित टोकन के बिना या गाड़ी के लिए उपयुक्त रूप से टोकन प्राप्त किए बिना ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करता है.
- द) उस ब्लाक सेक्शन से संबंधित टोकन के बिना या गाड़ी के लिए उपयुक्त रूप से प्राप्त किए बिना कोई गाड़ी किसी स्टेशन पर पहुँचती है.
- टिप्पणी : मद (त), (थ) और (द) के मामले में, इस घटना की दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट की जाएगी.
- ध) गैल्वेनोमीटर के सामने का कांच टूट गया है.
- न) नील के बाल या टैबलेट टोकन उपकरण के मामले में टोकन संकेतक या टोकन खिड़की टूट गई है.
- प) सही प्रचालन के बाद प्रचालन हैण्डल को नहीं घुमाया जा सकता.
- फ) प्रचालन हैण्डल को दूसरे छोर के स्टेशन से लंबी घंटी के बिना, किसी भी स्थिति में घुमाया जा सकता है.
- ब) यदि टोकन प्राप्ति ड्रम या स्लाइड की स्टेशन मास्टर की चाबी गुम गई है या ताला खराब हो गया है.
- भ) जहां अंतिम रोक सिगनल में ब्लाक उपकरण से अंतर्पांशित विद्युत ताले की व्यवस्था हो, प्रचालन हैण्डल "को गाड़ी जा रही है" स्थिति में रहे बिना अंतिम रोक सिगनल लीवर/नाब को विपरीत किया जा सकता है.
- म) जहां उपकरण पर "अंतिम रोक सिगनल" नियंत्रण चाबी की व्यवस्था हो, चाबी खो गई हो या खराब हो गई हो.
- टिप्पणी : क) खो गयी चाबी के मिल जाने पर, यदि वह अच्छी स्थिति में हो, तो स्टेशन मास्टर स्वयं टोकन संचालन बहाल करेंगे.
- ख) खराब चाबी स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी और सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी को सौंपी जाएगी.
- य) ब्लाक उपकरण के सही प्रचालन के बाद भी "लाइन क्लियर" को रद्द नहीं किया जा सकता है.
- र) लाइन ब्लाक लागू करने के बाद किस सामग्री गाड़ी/टाइ टैम्पिंग मशीन को ब्लाक सेक्शन में, क्रमशः टी.462/टी/ए.462 और टी.465/टी/ए.465 पर लिया जाना अपेक्षित हो.
- टिप्पणी : ब्लाक संचालन को (किसी भी साधन से लाइन क्लियर का आदान-प्रदान करके) निलंबित किया जाएगा और सामग्री गाड़ी आदि को टी.462 या टी/ए.462 पर रवाना किया जाएगा. यातायात ब्लाक को हटाने के बाद स्टेशन मास्टर स्वयं नीचे पैरा 8.9 के अनुसार ब्लाक संचालन बहाल करेंगे.

- ल) जब किसी राहत गाड़ी /राहत इंजन को टी/ए 602 पर अवरुद्ध ब्लाक सेक्शन में भेजा जाता है.
टिप्पणी : ब्लाक संचालन को (किसी भी साधन से लाइन क्लियर का आदान-प्रदान करके) निलंबित किया जाएगा और गाड़ियों को सहायक नियम 6.02 के अनुसार रवाना किया जाएगा. अवरोध हटाए जाने पर स्टेशन मास्टर स्वयं ब्लाक संचालन को नीचे पैरा 8.9 के अनुसार बहाल करेंगे.
- व) यह मालूम कि टोकन उपकरण ऊपर निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से खराब है.

8.2 टोकन का खो जाना :

- क) जब कोई टोकन खो जाता है तो स्टेशन मास्टर इसकी सूचना सिगनल निरीक्षक को तत्काल देगा. यदि सिगनल निरीक्षक को सूचना देने के बाद टोकन मिल जाता है, तो स्टेशन मास्टर को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहिए और इसे सिगनल निरीक्षक को सौंप देना चाहिए.
- ख) सूचना प्राप्त होने पर सिगनल निरीक्षक प्रथम उपलब्ध साधन द्वारा उस स्टेशन पर जाएगा. यदि टोकन मिल गया है, तो वह इसे ब्लाक उपकरण में डाल देगा और टोकन संचालन बहाल करेगा. यदि टोकन नहीं मिलता है, तो वह उस टोकन विशेष को सूची से निकालते हुए ब्लाक उपकरण का प्रचालन बहाल करेगा और दूसरे छोर के स्टेशन-मास्टर के साथ "जांच" सिगनल का आदान-प्रदान करेगा तथा यह तसल्ली करने के बाद कि ब्लाक उपकरण कार्यचालन स्थिति में हैं, वह ब्लाक सेक्शन के दोनों छोरों के स्टेशन मास्टरों को खो गए टोकन का नंबर और टोकन संचालन बहाल करने की सूचना देगा.
- ग) सिगनल निरीक्षक द्वारा ब्लाक सेक्शन के दोनों छोरों के स्टेशनों में गाड़ी सिगनल रजिस्टर में खोए हुए टोकन, टोकन संचालन के निलंबित और बहाली से संबंधित प्रविष्टि की जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त सिगनल निरीक्षक को निम्नलिखित फार्म में "खोए हुए टोकन की सूचना" दोनों स्टेशनों पर चिपकानी चाहिए.

खोए हुए टोकन की सूचना

<p>..... स्टेशन से स्टेशन तक के ब्लाक सेक्शन से संबंधित टोकन सं. खो गया है. यदि ब्लाक सेक्शन के किसी भी छोर के स्टेशन मास्टर को सौंपा जाता है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाएगा बल्कि इसे स्टेशन मास्टर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो अविलंब मुझे इसकी सूचना देगा.</p> <p>दिनांक</p> <p style="text-align: right;">..... सिगनल निरीक्षक</p>
--

- घ) सिगनल निरीक्षक, खोये हुए टोकन के संबंध में डिपुओं के मुख्य कर्मीदल नियंत्रक/कर्मीदल नियंत्रक और गाड़ी परीक्षक को सूचित करेगा कि ड्राइवरों को, सूचित करें कि खोये हुए टोकन को प्रस्थान प्राधिकार के रूप में स्वीकार न करें.
- च) खोये हुए टोकन की सूचना, इसे चिपकाने की तारीख से छह माह तक लागू रहेगी और इस अवधि के बाद सिगनल निरीक्षक इसे निकाल देगा.

- छ) बहाली के बाद यदि खोया हुआ टोकन मिल जाता है, तो स्टेशन मास्टर इसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और इसकी सूचना सिगनल निरीक्षक को तत्काल देगा. स्टेशन मास्टर इस टोकन को, किसी भी परिस्थिति में, किसी गाड़ी के ड्राइवर को "प्रस्थान प्राधिकार" के रूप में नहीं सौंपेगा. स्टेशन मास्टर इसे सिगनल निरीक्षक को सौंपेगा और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में वह उससे प्राप्त करेगा. यदि टोकन अच्छी स्थिति में हो सिगनल निरीक्षक उसे ब्लाक उपकरण में डालेगा और ब्लाक उपकरण को बहाल करेगा. इसके बाद वह इसकी सूचना, दोनों स्टेशन मास्टरों, मुख्य कर्मिंदल नियंत्रक/कर्मिंदल नियंत्रक, गाड़ी परीक्षक और मंरेप्र/यातायात और सिगनल व दूरसंचार को देगा. लोको शेड में चिपकायी गयी खोए हुए टोकन की सूचना निकाल दी जाएगी और लोको शेड के पदाधिकारी, ड्राइवरों को तदनुसार सूचित करेंगे.
- ज) यदि खोया हुआ टोकन नहीं मिलता है, तो छह महीनों के बाद इसके प्रतिस्थापन की व्यवस्था की जाएगी. नए टोकन पर ब्लाक सेक्शन पर प्रयुक्त उच्चतम नंबर का अगला क्रमिक नंबर होना चाहिए. गुमशुदा टोकन का प्रतिस्थापन, मंडल रेल प्रबंधक/यातायात एवं सिगवदूसं के आदेशों के अधीन किया जाए. यदि नए टोकन की मांग के बाद खोया हुआ टोकन मिल जाता है, तो उसे ब्लाक उपकरण में नहीं डाला जाएगा बल्कि सिगनल निरीक्षक द्वारा इसे तोड़ दिया जाएगा और भंडार को वापस कर दिया जाएगा.

टिप्पणी : गुमशुदा के रूप में अधिसूचित टोकन का यदि वास्तव में सिगनल निरीक्षक के उसी अधिकार क्षेत्र में ब्लाक सेक्शन के आगे, या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर, अति वहन हुआ हो, तो टोकन को निकटतम स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाए. स्टेशन मास्टर इसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखें और उस सेक्शन के सिगनल निरीक्षक को जिससे टोकन संबंधित है, एक प्रति भेजते हुए, सिगनल निरीक्षक को इसकी सूचना दें. सिगनल निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्राधिकार के स्टेशन मास्टर से टोकन ले ले और इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित सिगनल निरीक्षक को अग्रेषित करे.

8.3 ब्लाक उपकरणों की खराबी का रिकार्ड :

ब्लाक उपकरण/सिगनल और सिगनल संचालन से संबंधित अन्य गियरों की खराबियों का स्टेशन पर सिगनल व दूरसंचार की खराबी के रजिस्टर में रिकार्ड रखा जाएगा.

टिप्पणी : "एक्स" स्टेशन या "वाई" स्टेशन में ब्लाक उपकरण की खराबी को, "एक्स" और "वाई" दोनों स्टेशन मास्टरों द्वारा अपने सिगनल व दूरसंचार की खराबी के रजिस्टरों में दर्ज किया जाएगा.

8.4 भेजी जाने वाली रिपोर्टें :

- क) जब ब्लाक संचालन निलंबित किया जाता है, तो ब्लाक सेक्शन के दोनों छोरों के स्टेशन मास्टर गाड़ी सिगनल रजिस्टर में अंतिम गाड़ी की प्रविष्टियों के ठीक नीचे ब्लाक संचालन निलंबित करने का समय और तारीख और निलंबन का कारण की, यदि मालूम हो, तत्काल लाल स्याही से प्रविष्टि करेंगे. इसके बाद, दोनों स्टेशन मास्टर एक दूसरे को और सिगनल निरीक्षक/सिगनल अनुरक्षक को टेलीफोन पर निलंबन और इसके कारण की, यदि मालूम हो, सूचना देंगे. खराबी का कारण केवल उस स्टेशन मास्टर द्वारा बताया जाएगा, जो पहले ब्लाक संचालन निलंबित करता है. इस संदेश की एक प्रति, मंरेप्र/यातायात एवं सिगवदूसं को भी भेजी जाएगी. नियंत्रित सेक्शनों

पर "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टरों द्वारा ड्यूटी नियंत्रक को सूचित किया जाएगा.

- ख) अगले स्टेशन से "लाइन क्लियर" प्राप्त करने के बाद अंतिम रोक सिगनल खराब होने पर इसकी सूचना सिगनल अनुरक्षक को भी दी जाएगी.
- ग) लाइन की खराबियों के कारण जब कभी सरकारी तार विभाग को किसी खराबी की रिपोर्ट की जाती है, तो ब्लाक संचालन पहले निलंबित करने वाले स्टेशन मास्टर द्वारा भेजे गए संदेश के अंत में "स.ता. वि (जी.टी.डी) को सूचित किया गया" जोड़ा जाएगा.

8.5 ब्लाक संचालन बाधित होने पर या निलंबित करने पर गाड़ी सिगनल व्यवस्था :

- क) ब्लाक उपकरण पर पांच मिनट तक बुलाने के बावजूद यदि "एक्स" "वाई" का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है तो वह प्राथमिकता के क्रम में (i) ब्लाक उपकरण से जुड़े टेलीफोन (ii) स्टेशन से स्टेशन पर लगे टेलीफोन, जहां उपलब्ध हो, (iii) रेलवे आटो फोन और बी एस एन एल फोन जैसे लगे टेलीफोन (iv) कंट्रोल टेलीफोन और वी.एच.एफ.सेट संचार व्यवस्था के माध्यम से "वाई" को ब्लाक उपकरण की ओर ध्यान देने के लिए कहेगा.
- ख) ब्लाक उपकरण रेलपथ परिपथन का धुरा काउंटर की खराबी या निलंबन के मामले में "लाइन क्लियर" प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित में से किसी एक वैकल्पिक संचार साधन द्वारा प्राप्त किया जाएगा.
- i) ब्लाक उपकरण से जुड़ा टेलीफोन
- ii) स्टेशन से स्टेशन पर लगा टेलीफोन, जहां उपलब्ध हो.
- iii) रेलवे आटो फोन और बी एस एन एल फोन जैसे लगे टेलीफोन.
- iv) कंट्रोल टेलीफोन.
- v) वी.एच.एफ. सेट
- ग) यदि "एक्स" का स्टेशन मास्टर प्राथमिकता क्रम में उपर्युक्त में से किसी भी साधन द्वारा "वाई" के स्टेशन मास्टर से "लाइन क्लियर" प्राप्त नहीं कर सकता है, तो ब्लाक स्टेशन पूर्णतः बाधित माना जाएगा और गाड़ियों का संचालन स.नि. 6.02.4 के अनुसार इकहरी लाइन पर संचार व्यवस्था के पूर्ण रूप से भंग होने के दौरान यातायात के संचालन के लिए निर्धारित नियम और विनियम के अनुसार किया जाएगा.
- घ) किसी वैकल्पिक साधन द्वारा गाड़ी के वास्तविक रूप से सिगनल देने से पहले "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर निम्नलिखित प्रोफार्मा में संदेशों का तत्काल आदान-प्रदान करेंगे और गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से दर्ज करेंगे.

"एक्स" स्टेशन से संदेश का प्रोफार्मा

नं. -----

दिनांक/समय -----

(स्टेशन कूट/माह/क्रम संख्या - उदा : बी जेड ए/11/21)

----- और ----- स्टेशनों के बीच ब्लाक संचालन निलंबित किया गया है. गाड़ी को सिगनल *ब्लाक उपकरण से जुड़े टेलीफोन/स्टेशन से स्टेशन पर लगे टेलीफोन/रेलवे आटो फोन और बी एस एन एल फोन/कंट्रोल फोन/वी एच एफ सेट के माध्यम से दिया जाए.

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर.....

* जो लागू नहीं, उसे काट दें.

स्टेशन "वाई" से पावती के संदेश का प्रोफार्मा

नं. तारीख व समय
(स्टेशन कूट/माह/क्रम संख्या - उदा : बी जेड ए/11/21 ए)
अपना संदेश सं. देखें. पता चल गया है कि ----- और --
----- स्टेशनों के बीच ब्लाक संचालन निलंबित किया गया है. गाड़ी को
सिगनल * ब्लाक उपकरण से जुड़ा टेलीफोन/स्टेशन से स्टेशन पर लगे
टेलीफोन/रेलवे आटो फोन और बी एस एन एल फोन जैसे लगे टेलीफोन/कंट्रोल
फोन/वी एच एफ सेट के माध्यम से दिया जाएगा.
स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर.....
* जो लागू नहीं, उसे काट दें.

- च) (i) जब कभी "एक्स" और "वाई" के बीच गाड़ियों को सिगनल, ब्लाक टेलीफोन या कंट्रोल फोन आदि, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से दिया जाता है, तो गाड़ियों का निपटान, विशेष रूप से अन्यथा व्यवस्था को छोड़कर हर प्रकार से ब्लाक संचालन नियमावली के अनुबंध में निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार किया जाएगा.
(ii) "एक्स" और "वाई" के बीच निपटाई गई प्रत्येक गाड़ी का नंबर, विवरण और आगमन तथा प्रस्थान समय, प्राइवेट नंबर सहित, गाड़ी सिगनल रजिस्टर में उसी समय लाल स्याही से दर्ज किया जाएगा.
(iii) स्टेशन मास्टर टी/ए.425 जावक और टी/वी.1425 आवक में, जैसा भी मामला हो, उस संचार का साधन को रिकार्ड करेगा, जिसके माध्यम से "लाइन क्लियर" मांगा गया था या दिया गया है.
(iv) प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी पेपर लाइन क्लियर टिकट का प्रगामी नंबर, गाड़ी सिगनल रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम में गाड़ी की प्रविष्टि के आगे दर्ज किया जाएगा.

8.6 गाड़ी के प्रस्थान के बाद या गाड़ी के लिए ब्लाक सेक्शन क्लियर करने से पहले ब्लाक उपकरण खराब हो जाने के कारण जब "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल नहीं दिया जा सकता, तो अपनाई जानेवाली कार्यविधि

- क) किसी गाड़ी के प्रस्थान के बाद ब्लाक उपकरण खराब हो जाने के कारण यदि "वाई" स्टेशन को उस गाड़ी के लिए "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" सिगनल या "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" सिगनल नहीं दिया जा सकता है, तो "एक्स" गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से गाड़ी के प्रस्थान/आगमन का समय दर्ज करेगा और "वाई" या "एक्स" को वैकल्पिक संचार साधन के माध्यम से सूचित करेगा और उपर्युक्त 8.5 के पैरा (घ) के अनुसार संदेशों का आदान-प्रदान करेगा.
- ख) जिस अंतिम गाड़ी ने ब्लाक सेक्शन को अवरुद्ध किया था उसके लिए टोकन उपकरण पर ब्लाक सेक्शन क्लियर होने से पहले जब कभी टोकन संचालन निलंबित कर दिया जाता है, तो "वाई" का स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन पर गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से गाड़ी के आगमन का समय दर्ज करेगा और "एक्स" के स्टेशन मास्टर को टेलीफोन द्वारा निम्नलिखित संदेश भेजेगा.

संख्या

..... गाड़ी (नंबर और विवरण) बजे पूरी तरह से यहां आ पहुँची है.

स्टेशन मास्टर

"एक्स" का स्टेशन मास्टर अपने गाड़ी सिगनल रजिस्टर में गाड़ी का आगमन समय दर्ज करेगा और निम्न प्रकार संदेश की अभिस्वीकृति देगा :-

संख्या

आपका नंबर मालूम हुआ कि गाड़ी (नंबर और विवरण)

आपके स्टेशन पर बजे को पूरी तरह पहुँच गयी है.

स्टेशन मास्टर

8.7 स्टेशन "एक्स" और "वाई" के बीच संचार साधन के रूप में ब्लाक उपकरण से जुड़े टेलीफोन, स्टेशन से स्टेशन स्थावर टेलीफोन, रेलवे आटोफोन और बी एस एन एल फोन जैसे स्थावर टेलीफोन का उपयोग करते हुए लाइन क्लीयर प्राप्त करने/देने की कार्यविधि :

- (क) "एक्स" अथवा "वाई" का स्टेशन मास्टर, जैसा भी मामला हो, ब्लाक उपकरण आदि की खराबी के बारे में संदेश द्वारा सेक्शन नियंत्रक और अन्य सर्व संबंधित पदाधिकारियों को सूचना देगा. सेक्शन नियंत्रक खराबी को उसके नियंत्रण चार्ट में रिकार्ड करेगा. सेक्शन नियंत्रक कार्यभार सौंपने/ग्रहण करते समय ब्लाक उपकरण की खराबी की अभिस्वीकृति देगा.
- (ख) ब्लाक उपकरण से जुड़े टेलीफोन, स्टेशन से स्टेशन स्थावर टेलीफोन, रेलवे आटोफोन और बीएसएनएल फोन जैसे स्थावर टेलीफोन/कंट्रोल फोन/वी एच एफ सेट का उपयोग करते हुए गाड़ी को वास्तव में भेजने से पहले, "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर नियम 8.5 (घ) के अनुसार स्टेशनों और दोनों छोरों के ड्यूटी स्टेशन मास्टर के नाम सही होना स्थापित करने के लिए संदेशों का आदान-प्रदान करेंगे.
- (ग) "एक्स" का स्टेशन मास्टर, जो गाड़ी भेजना चाहता है, पहले नियंत्रक की अनुमति प्राप्त करेगा. फिर वह नियम 8.5 (घ) के अंतर्गत दर्ज संचार साधन के माध्यम से "वाई" के स्टेशन मास्टर को बुलाएगा और फिर दोनों ड्यूटी स्टेशन मास्टरों की पहचान स्थापित करेगा. "एक्स" का स्टेशन मास्टर स्पष्ट रूप से जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर अपेक्षित है, उसका पूरा नंबर (दो/तीन/चार अंकों में) विवरण (एक्सप्रेस/पैसेंजर/माल गाड़ी) दिशा (अप/डाउन) का स्पष्ट उल्लेख करेगा.
- (घ) "वाई" का स्टेशन मास्टर लाइन क्लीयर देने की शर्तों को पूरा करने के बाद, प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लीयर देगा.
- (च) "एक्स" और "वाई" के बीच निपटारी गई प्रत्येक गाड़ी का पूरा नंबर, विवरण, दिशा (अप/डाउन) और प्रस्थान/आगमन समय और प्राप्त/जारी प्राइवेट नंबर को "एक्स" व "वाई" के स्टेशन मास्टर द्वारा तत्काल गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से दर्ज किया जाएगा.
- (छ) "एक्स" व "वाई" के स्टेशन मास्टर उपर्युक्त विवरण और संचार माध्यम, जिसके द्वारा लाइन क्लीयर प्राप्त किया/दिया गया है, दस्तावेज टी/ए 1425 (जावक) / टी बी/ 1425 (आवक) में, जैसा भी मामला हो, दर्ज करेंगे.
- (ज) स्टेशन "वाई" से लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद, "एक्स" का स्टेशन मास्टर, पेपर लाइन क्लीयर टिकट (अप के लिए टी/सी 1425 या डाउन के लिए टी/डी 1425) तैयार करेगा और टी/ए 1425 में पावती प्राप्त करने के बाद गाड़ी के ड्राइवर को सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगा.

- (झ) प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी पेपर लाइन क्लियर टिकट का क्रमिक नंबर, गाड़ी सिगनल रजिस्टर में गाड़ी की प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति कालम में दर्ज किया जाएगा.
- (ट) "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" का समय पूर्ण रूप से (उदाहरण 1410 बजे) एक दूसरे को सूचित करेंगे और संबंधित स्टेशनों पर गाड़ी के प्रस्थान/पूरी तरह से आगमन के तत्काल बाद इसे गाड़ी सिगनल रजिस्टर और टी/ए 1425 अथवा टी/बी 1425 दस्तावेज में दर्ज करेंगे और नियंत्रक को सूचित करेंगे.
- (ठ) जब कभी लाइन क्लियर रद्द किया जाता है, "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, टी/ए 1425 और टी/बी 1425 के "डी" कॉलम में तत्काल इसे दर्ज करेंगे.
- (ड) पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए सभी गाड़ियों को रोका जाएगा.
मद सं.(4) : नियम सं.8.8 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें :

8.8 "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के बीच संचार साधन के रूप में कंट्रोल टेलीफोन का उपयोग करते हुए लाइन क्लियर प्राप्त करने/देने की कार्यविधि :

- (क) स्टेशन "एक्स" अथवा "वाई" का स्टेशन मास्टर, जैसा भी मामला हो, ब्लाक उपकरण आदि की खराबी के बारे में संदेश द्वारा सेक्शन नियंत्रक और अन्य सर्वसंबंधित पदाधिकारियों को सूचना देगा. सेक्शन नियंत्रक, खराबी को अपने नियंत्रण चार्ट में दर्ज करेगा. सेक्शन नियंत्रक, कार्यभार सौंपने/ग्रहण करते समय ब्लाक उपकरण की खराबी की अभिस्वीकृति देगा.
- (ख) "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर, जो गाड़ी भेजना चाहता है, पहले नियंत्रक की अनुमति प्राप्त करेगा. नियंत्रक, "वाई" के स्टेशन मास्टर को कंट्रोल टेलीफोन पर बुलायेगा और कंट्रोल टेलीफोन के माध्यम से "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करेगा.
- (ग) "एक्स" और "वाई" स्टेशन के स्टेशन मास्टर, नियम 8.5 (घ) के अंतर्गत दिये गये प्रोफार्मा में संदेशों का आदान-प्रदान करेंगे.
- (घ) "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, लाइन क्लियर प्राप्त करने/देने से पहले ब्लाक सेक्शन पर पिछली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय सेक्शन नियंत्रक को दोहरायेंगे, जो दोनों स्टेशन मास्टरों के विवरण की अपने कंट्रोल चार्ट के साथ प्रति जांच करेगा.
- (च) दोनों ड्यूटी स्टेशन मास्टर, अपने पूरे नाम और स्टेशनों के साथ एक-दूसरे को पहचानेंगे. "एक्स" का स्टेशन मास्टर, जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर अपेक्षित है, उस गाड़ी का पूरा नंबर, विवरण (एक्सप्रेस/पैसन्जर/माल गाड़ी), दिशा (अप/डाउन) का स्पष्ट उल्लेख करेगा.
- (छ) "वाई" का स्टेशन मास्टर, लाइन क्लियर देने की शर्तों को पूरा करने के बाद, प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर देगा.
- (ज) "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के बीच निपटाई गई प्रत्येक गाड़ी का पूरा नंबर, विवरण, दिशा (अप/डाउन) और आगमन/प्रस्थान समय और प्राप्त/जारी प्राइवेट नंबर को "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से तत्काल दर्ज किया जाएगा.
- (झ) "एक्स" व "वाई" के स्टेशन मास्टर, उपर्युक्त विवरण और संचार साधन, जिसके द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त किया/दिया गया है, दस्तावेज टी/ए 1425 (जावक) टी/बी 1425 (आवक) में, जैसा भी मामला हो, दर्ज करेंगे.
- (ट) "वाई" स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद, "एक्स" का स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट (अप के लिए टी/सी 1425 या डाउन के लिए टी/डी 1425) तैयार करेगा और

टी/ए 1425 में पावती प्राप्त करने के बाद गाड़ी के ड्राइवर को इसे सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगा.

- (ठ) प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी पेपर लाइन क्लियर टिकट का क्रमिक नंबर, सिगनल रजिस्टर में गाड़ी की प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति कालम में दर्ज किया जाएगा.
- (ड) "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर, "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" और "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" का समय, पूर्ण रूप से (उदाहरण 14.10 बजे) नियंत्रक के जरिये एक दूसरे को सूचित करेंगे और संबंधित स्टेशनों पर गाड़ी के प्रस्थान/पूरी तरह से आगमन के तत्काल बाद इसे गाड़ी सिगनल रजिस्टर और टी/ए 1425 या टी/बी 1425 दस्तावेज में दर्ज करेंगे और नियंत्रक को भी सूचित करेंगे.
- (ढ) जब कभी लाइन क्लियर रद्द किया जाता है, "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, टी/ए 1425 और टी/बी 1425 के "डी" कालम में तत्काल इसे दर्ज करेंगे और सेक्शन नियंत्रक को सूचित करेंगे.
- (त) पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए सभी गाड़ियों को रोका जाएगा.
- (थ) सेक्शन नियंत्रक, नियम नं.8.8 (क) से (च) और (ठ) में उल्लिखित संव्यवहार को पूरा करने के लिए "एक्स" और "वाई" स्टेशन मास्टरों के बीच समन्वयन करेगा और "वाई" के स्टेशन मास्टर द्वारा "एक्स" के स्टेशन मास्टर को जारी प्राइवेट नंबर कंट्रोल चार्ट में दर्ज करेगा. "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर, गाड़ी सिगनल रजिस्टर के अभ्युक्ति कॉलम में ड्यूटी सेक्शन नियंत्रक का नाम दर्ज करेंगे.
- (द) "वाई" के स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन क्लियर देने से पहले सेक्शन नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि चार्ट के अनुसार ब्लाक सेक्शन में कोई गाड़ी नहीं है.
मद सं.(5) : निम्न को नियम सं.8.9 के रूप में अंतर्विष्ट करें.

8.9 "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के बीच संचार साधन के रूप में वी एच एफ सेट का उपयोग करते हुए लाइन क्लियर प्राप्त करने/देने की कार्यविधि :

- (क) "एक्स-वाई" ब्लाक सेक्शन के स्टेशन मास्टर, उनके वी एच एफ सेट में आबंटित * सामान्य फ्रीक्वेंसी/चैनल पर एक-दूसरे से संपर्क करेंगे और लाइन क्लियर प्राप्त करने/देने के प्रयोजन के लिए स्टेशन संचालन नियमों में यथा निर्धारित * फ्रीज्ड चैनल/फ्रीक्वेंसी में बदलेंगे.
- (ख) "एक्स" और "वाई" स्टेशन के स्टेशन मास्टर, उपर्युक्त नियम सं.8.5 (घ) के अंतर्गत प्रोफार्मा में ** फ्रीज्ड चैनल/फ्रीक्वेंसी के जरिये संदेशों का आदान-प्रदान करेंगे और अपनी पहचान स्थापित करेंगे.
- (ग) "एक्स" का स्टेशन मास्टर, जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लियर अपेक्षित है, पूर्ण रूप से उस गाड़ी नंबर (दो + तीन/चार अंक), विवरण (एक्सप्रेस, पैसेन्जर, माल गाड़ी), दिशा (अप/डाउन) "वाई" स्टेशन मास्टर को स्पष्ट रूप से बतायेगा.
- (घ) "वाई" का स्टेशन मास्टर, लाइन क्लियर देने के लिए शर्तों को पूरा करने के बाद, प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर देगा.
- (च) "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के बीच निपटारी गई प्रत्येक गाड़ी का पूरा नंबर, विवरण, दिशा (अप/डाउन) और गाड़ी का आगमन/प्रस्थान समय और प्राप्त/जारी प्राइवेट नंबर को "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टरों द्वारा गाड़ी सिगनल रजिस्टर में लाल स्याही से तत्काल दर्ज किया जाएगा.

- (छ) "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर, उपर्युक्त विवरण और संचार साधन, जिसके माध्यम से लाइन क्लियर प्राप्त किया गया/दिया गया है, दस्तावेज टी/ए 1425 (जावक) / टी/बी 1425 (आवक) में, जैसा भी मामला हो, दर्ज करेंगे.
- (ज) "वाई" स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद, "एक्स" स्टेशन का स्टेशन मास्टर, पेपर लाइन क्लियर टिकट (अप के लिए टी/सी 1425 या डाउन के लिए टी/डी 1425) तैयार करेगा और टी/ए 1425 में पावती प्राप्त करने के बाद गाड़ी के ड्राइवर को इसे सुपुर्द करने की व्यवस्था करेगा.
- (झ) प्रत्येक गाड़ी के लिए जारी पेपर लाइन क्लियर टिकट का क्रमिक नंबर गाड़ी सिगनल रजिस्टर में गाड़ी के लिए प्रविष्टि के सामने अभ्युक्ति कॉलम में दर्ज किया जाएगा.
- (ट) "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर "गाड़ी ब्लाक सेक्शन में प्रवेश कर रही है" और "गाड़ी ब्लाक सेक्शन से बाहर" का समय पूर्ण रूप से (उदाहरण 1410 बजे) एक दूसरे को सूचित करेंगे और संबंधित स्टेशनों पर गाड़ी के प्रस्थान/पूरी तरह से आगमन के तत्काल बाद इसे गाड़ी सिगनल रजिस्टर और टी/ए 1425 या टी/बी 1425 दस्तावेज में दर्ज करेंगे.
- (ठ) जब कभी लाइन क्लियर रद्द किया जाता है, "एक्स" और "वाई" स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, टी/ए 1425 और टी/बी 1425 के "डी" कॉलम में तत्काल इसे दर्ज करेंगे.
- (ड) पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए सभी गाड़ियों को रोका जाएगा.
- (ढ) स्टेशन मास्टर, ** फ्रीज चैनल/फ्रीक्वेंसी पर आवश्यक संव्यवहार पूरा होने के बाद फिर से सामान्य फ्रीक्वेंसी/चैनल में बदलेंगे.

*	सामान्य फ्रीक्वेंसी/चैनल	-	13	
**	फ्रीज्ड चैनल/फ्रीक्वेंसी	-		
	चैनल - 8	-		पहला निकटवर्ती सेक्शन
	चैनल - 9	-		दूसरा निकटवर्ती सेक्शन
	चैनल - 10	-		तीसरा निकटवर्ती सेक्शन.

8.10 बाधित होने या निलंबन होने के बाद ब्लाक संचालन की बहाली :

- (क) (i) जब पैरा 8.1 की मद (ज) (ड) (V) (र) और (ल) के अंतर्गत ब्लाक संचालन को निलंबित किया जाता है, तो प्रत्येक मद के अंतर्गत टिप्पणी में बतायी गयी शर्तों को पूरा करके और पैरा 8.1 की मद (र) और (ल) के मामले में संदेशों का आदान-प्रदान करने के बाद स्टेशन मास्टर स्वयं ब्लाक संचालन बहाल कर सकते हैं.
- (ii) जब ब्लाक संचालन को, उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित मदों को छोड़कर, किन्हीं अन्य मद के अंतर्गत निलंबित किया जाता है, तो स्टेशन मास्टरों द्वारा स्वयं ब्लाक संचालन तब तक बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक कि सिगनल निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा उपकरण की जांच तथा प्रमाणित न किया जाता हो और संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाता है.
- (iii) पैरा 8.1 की मद (प) (ब) और (म) के अंतर्गत खराबी के मामले में प्रथम उपलब्ध साधन द्वारा मंसिगवदूइंजी/सहा.मंसिगवदूइंजी को भी सूचना दी जाएगी. जब तक मंडल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर/सहायक मंडल सिगनल व दूरसंचार इंजीनियर द्वारा उपकरणों की स्वयं जांच नहीं कर ली जाती, दोनों स्टेशनों पर प्रभावित ब्लाक उपकरणों को संबंधित स्टेशन मास्टरों द्वारा प्रचालित नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में सिगनल निरीक्षक उपकरणों को खोलने के लिए प्राधिकार नहीं हैं.

- (ख) ब्लाक संचालन बहाल करने से पहले "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर, "एक्स" और "वाई" स्टेशन में अंतिम गाडी का आगमन और प्रस्थान समय बताते हुए संदेशों का आदान-प्रदान करके और इस बात की तसल्ली कर लेंगे कि ब्लाक सेक्शन क्लियर है.
- (ग) जब ब्लाक संचालन बहाल हो जाता है, तो "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टर, एक-दूसरे, सिगनल निरीक्षक और नियंत्रक को इसकी सूचना देंगे.

8.11 इकहरी लाइन सेक्शन पर संचार व्यवस्था के पूर्ण रूप से भंग हो जाने के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए नियम और विनियम :

सहायक नियम 6.02.4 देखें.

अनुबंध

**पेपर लाइन क्लियर टिकटों के माध्यम से
गाड़ियों का संचालन
(टी/सी. 1425 - अप पी एल सी टी एवं
टी/डी.1425 - डाउन पी एल सी टी)**

अनुबंध

पेपर लाइन क्लियर टिकटों के माध्यम से गाड़ियों का संचालन

(टी/सी. 1425 - अप पी एल सी टी एवं टी/डी.1425 - डाउन पी एल सी टी)

1.1	लाइन क्लियर पूछताछ संदेश का उपयोग - (टी/ए.1425 - जावक / टी/बी.1425 - आवक)	1
1.2	दैनिक क्रमिक संख्या और प्राइवेट नंबर	2
1.3	टी/ए 1425, टी/बी 1425, टी/सी 1425 और टी/डी 1425 का परिरक्षण.	2
1.4	टी/ए 1425, टी/बी 1425, टी/सी 1425 और टी/डी 1425 का उपयोग करते हुए "एक्स" से "वाई" को गाडी भेजने की पद्धति.	2
1.5	ड्राइवर को पेपर लाइन क्लियर टिकट की सुपुर्दगी :	3
1.6	कंट्रोल फोन के बाधित होने के दौरान प्रति "लाइन क्लियर" पूछताछ	4
1.7	"लाइन क्लियर" अस्वीकार करना	4
1.8	आपात समय में "लाइन क्लियर" वापस लेना	4
1.9	इकहरी लाइन टोकन क्षेत्र और इकहरी लाइन टोकन रहित क्षेत्र में प्रथम रोक सिगनल के बाहर गाडी की शंटिंग के लिए "लाइन क्लियर" की मांग करना.	5
1.10	"लाइन क्लियर" रद्द करना फार्मों के नमूने(टी/ए 1425, टी/बी 1425, टी/सी 1425 एवं टी/डी 1425)	6

अनुबंध

पेपर लाइन क्लियर टिकटों के माध्यम से गाड़ियों का संचालन

(टी/सी. 1425 - अप पी एल सी टी एवं टी/डी.1425 - डाउन पी एल सी टी)

1.1 "लाइन क्लियर" पूछताछ संदेश का उपयोग - (टी/ए 1425 - जावक टी/बी 1425 - आवक)

- (क) लाइन क्लियर पूछताछ संदेश (जावक) में कोई भी प्रविष्टि करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए कि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में प्रविष्टियां पूरी तरह से की गई हैं और ब्लाक सेक्शन क्लियर है, हमेशा गाड़ी सिगनल रजिस्टर देखा जाएगा.
- (ख) गाड़ी भेजने के लिए लाइन क्लियर पूछताछ संदेश (टी/ए 1425 - जावक) और प्राप्त लाइन क्लियर पूछताछ संदेश (टी/बी 1425 - आवक), "एक्स" और "वाई" के स्टेशन मास्टरों द्वारा स्वयं लिखे जाएंगे. यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जाएगी कि संदेश हर प्रकार से पूर्ण और सही है. संदेश लिखते समय यदि कोई गलती होती है तो गलत प्रविष्टि को इस पर एक हल्की लाइन खींचते हुए इसे रद्द किया जाएगा न कि मिटाकर, ताकि इसे कभी भी पढ़ा जा सके तथा ऐसे संशोधन पर स्टेशन मास्टर द्वारा आद्यक्षर किया जाएगा.
- (ग) प्रत्येक संदेश के भेजे जाने या प्राप्त होने के तत्काल बाद दोनों छोर के स्टेशन मास्टर अपने आद्यक्षर का आदान-प्रदान करेंगे और "से प्राप्त" और "द्वारा प्राप्त" कॉलम में आद्यक्षर की प्रविष्टि करेंगे - (टी/ए.1425 - जावक टी/बी.1425 - आवक)
- (घ) लाइन क्लियर पूछताछ संदेश में संदेश रिकार्ड करने के बाद (जावक/आवक) यदि व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इस तथ्य को संदेश की अंतिम प्रविष्टि के आगे रिकार्ड किया जाएगा.
- (च) किसी भी संदेश के विषयवस्तु में गाड़ी के विवरण के संबंध में किसी भी प्रकार के संक्षिप्त रूप या शब्दों में काट-छांट का उपयोग नहीं किया जाएगा - (टी/ए.1425 - जावक टी/बी.1425 - जावक) या पीएलसीटी (टी/सी.1425 / टी/डी.1425).
- (छ) गाड़ी की दिशा, अर्थात् अप या डाउन भी रिकार्ड की जाएगी. दो/तीन/चार अंकों में गाड़ी का संख्यात्मक नंबर, पूरी तरह लिखा जाएगा. (उदाहरण : अंतिम अंक 18 के बजाए एफ एल 10/170/2718 आदि) इसी प्रकार, "आउट रिपोर्ट" और "इन रिपोर्ट" का समय भी चार अंकों में लिखा जाएगा. (उदा : अंतिम अंक 35 और 55 के बजाए 21.35 बजे से 21.55 बजे आदि)
- (ज) पेपर लाइन क्लियर टिकट पर "स्टेशन मास्टर मुहर" लगाया जाए. उस स्टेशन का नाम, जहां जाने के लिए ड्राइवर प्राधिकार किया गया है, कार्यचालन समय सारणी में दिए गए स्टेशन के नाम की सरकारी वर्तनी के अनुसार पूरी तरह से लिखा जाएगा.

- (झ) ड्राइवर यह जांच करेगा कि पेपर लाइन क्लियर टिकट, बिना किसी परिवर्तन के, सही और पूरी तरह से भरा गया है तथा गाड़ी नंबर और विवरण, तारीख दिशा तथा "को स्टेशन" का नाम सही हैं.
- (ट) जब "लाइन क्लियर", ब्लॉक फोन या कंट्रोल फोन या वी एच एफ सेट के जरिये प्राप्त किया जाता है तो स्टेशन मास्टर, जावक संदेश - टी/ए.1425 के 'ए' भाग में "के माध्यम से" कॉलम में इसे लिखेगा.

1.2 दैनिक क्रमांक और प्राइवेट नंबर :

- (क) प्रत्येक 'लाइन क्लियर पूछताछ संदेश (जावक)' को एक नंबर से क्रमागत रूप से क्रमांकित किया जाएगा जो प्रत्येक दिन के शून्य बजे से आरंभ होगा.
- (ख) "----- स्टेशन में प्राप्त लाइन क्लियर पूछताछ के लिए भेजे गये उत्तर" में संदेश नंबर का संदर्भ कोट किया जाएगा.
- (ग) भेजे गये प्रत्येक 'लाइन क्लियर' के लिए एक प्राइवेट नंबर आबंटित किया जाएगा. इस प्राइवेट नंबर को क्रमशः टी/ए.1425 और टी/बी.1425 के "भेजा गया उत्तर" और "प्राप्त किया गया उत्तर" हिस्से में आंकड़ें और शब्द दोनों में रिकार्ड किया जाएगा.

1.3 टी/ए.1425, टी/बी.1425, टी/सी.1425 और टी/डी 1425 का परिरक्षण :

टी/ए.1425, टी/बी.1425, टी/सी.1425 और टी/डी 1425 का स्टेशनों में उनके पूरे होने के छमाही के बाद एक वर्ष के लिए परिरक्षित किया जाएगा और इसके बाद इनको पुराने रिकार्ड माने जाएंगे और इनका उसी प्रकार निपटारा किया जाएगा. लंबित जांच या मामलों आदि के पूरा होने तक रखे जाने के अपेक्षित, टी/ए.1425, टी/बी.1425, टी/सी.1425 और टी/डी.1425 को किसी भी हालत में पुराना रिकार्ड नहीं माना जाएगा और उस पदाधिकारी से, जिन्होंने इनको रखने के लिए मूल आदेश जारी किए थे, विशेष आदेश प्राप्त किये बिना इस प्रकार की जांच या मामले की समाप्ति से पहले निपटारा नहीं किया जाएगा.

1.4 टी/ए.1425, टी/बी.1425, टी/सी.1425 और टी/डी 1425 का उपयोग करके "एक्स" से "वाई" को गाड़ी भेजने की पद्धति :

यदि "एक्स" और "वाई" दो क्रमिक ब्लॉक स्टेशन हों, तो टी/ए.1425, टी/बी.1425, टी/सी.1425 और टी/डी 1425 का उपयोग करके "एक्स" से "वाई" स्टेशन को गाड़ी भेजने की पद्धति निम्नानुसार है :-

भेजने वाला स्टेशन "एक्स"		प्राप्त करने वाला स्टेशन "वाई"	
1.	टी/ए.1425 के जावक भाग का कॉलम "ए" भरें और फोन पर विवरण की सूचना दें. (लाइन क्लियर पूछताछ)		
		2.	फोन पर प्राप्त सूचना के अनुसार टी/बी.1425 के आवक भाग का कॉलम "ए" भरें.
		3.	यदि "लाइन क्लियर" हो, तो टी/बी.1425 के आवक भाग का कॉलम "बी" भरें और फोन पर सूचित करें.
4.	टी/ए.1425 के जावक भाग का कॉलम "ए" भरें और टी/सी.1425 (अप पीएलसीटी) या टी/डी.1425 (डाउन पीएलसीटी) तैयार करें, जैसा भी मामला हो, और इसे ड्राइवर को सौंपने की व्यवस्था करें.		
5.	टी/ए.1425 के जावक भाग का कॉलम "बी" (आउट रिपोर्ट) भरें और फोन पर सूचित करें.		
		6.	फोन पर प्राप्त सूचना के अनुसार टी/ए.1425 के जावक भाग का कॉलम "बी" (आउट रिपोर्ट) भरें.
		7.	गाड़ी के आगमन पर टी/बी.1425 के आवक भाग का कॉलम "सी" (इन रिपोर्ट) भरें और फोन पर सूचित करें.
8.	टी/ए.1425 के जावक भाग का कॉलम "सी" (इन रिपोर्ट) भरें.		

1.5 पेपर लाइन क्लियर टिकट, ड्राइवर को सौंपना :

- (क) स्टेशन मास्टर, पेपर लाइन क्लियर टिकट ड्राइवर को स्वयं या किसी सक्षम रेल सेवक के जरिये सौंपेगा. ड्राइवर टी/ए.1425 के कॉलम "ए" में इसकी पावती देगा.
- (ख) उस गाड़ी के ड्राइवर को जिसे स्टेशन में शंटिंग करना है, तब तक पेपर लाइन क्लियर टिकट नहीं सौंपा जाएगा, जब तक शंटिंग पूरा नहीं हो जाता और गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार नहीं हो जाती.
- (ग) एक गाड़ी में दो इंजन : यदि एक गाड़ी पर दो इंजन हों, तो पेपर लाइन क्लियर टिकट, आगे के इंजन के ड्राइवर को सौंपा जाएगा.

- (घ) किसी गाड़ी के लिए "इन - रिपोर्ट" प्राप्त होने में किसी विलंब के मामले में, जिस स्टेशन मास्टर, ने गाड़ी भेजी है, विलंब के कारण की पूछताछ करेगा.

1.6 कंट्रोल फोन के व्यवधान के दौरान प्रति "लाइन क्लियर" पूछताछ :

- (क) जब "वाई" को, "एक्स" से "लाइन क्लियर" पूछताछ प्राप्त होता है, और यदि "वाई" में प्रतीक्षा कर रही अधिक महत्वपूर्ण गाड़ी के लिए "लाइन क्लियर" अपेक्षित है, तो "वाई" एक प्रति "लाइन क्लियर पूछताछ" भेजेगा.
- (ख) "वाई" का स्टेशन मास्टर, टी/बी.1425 के आवक हिस्से के कॉलम "ए" में लाल स्याही में "रद्द" शब्द लिखेगा. वह इसके बाद, टी/ए.1425 (नया फार्म) के जावक हिस्से के कॉलम 'ए' में "प्रति लाइन क्लियर पूछताछ" रिकार्ड करेगा और "एक्स" को सूचित करेगा. "एक्स" का स्टेशन मास्टर, टी/ए.1425 के जावक हिस्से के कॉलम "ए" में लाल स्याही से "रद्द" शब्द लिखेगा. "एक्स" इसके बाद इसे टी/ए.1425 (नया फार्म) के आवक हिस्से के कॉलम 'ए' में रिकार्ड करेगा और "वाई" को सूचना देगा.

नोट : गाड़ियों की प्राथमिकता के लिए अध्याय-II देखें.

1.7 "लाइन क्लियर" को अस्वीकार करना :

यदि अवरोध, शंटिंग या किसी अन्य कारणवश, "वाई" का स्टेशन मास्टर, किसी गाड़ी के लिए "एक्स" के स्टेशन मास्टर को "लाइन क्लियर" देने में असमर्थ है, तो वह ऐसे अस्वीकार का कारण बताते हुए "लाइन क्लियर" अस्वीकार करेगा. "लाइन क्लियर" अस्वीकार करने को दोनों स्टेशनों में जावक संदेश टी/ए.1425 और आवक संदेश टी/बी.1425 में, प्रविष्ट किया जाएगा और परिस्थितियां "लाइन क्लियर" के अनुकूल होने पर, "एक्स" का स्टेशन मास्टर जब "वाई" के स्टेशन मास्टर से फिर से "क्या लाइन क्लियर है?" पूछता है तो टी/ए.1425 के नए फार्म का उपयोग किया जाएगा.

1.8 आपात मामले में "लाइन क्लियर" वापस लेना :

- (क) यदि "एक्स" का स्टेशन मास्टर, "वाई" से "लाइन क्लियर" प्राप्त करने के बाद आपाती मामले में "लाइन क्लियर" वापस लेना चाहता है, तो वह पेपर लाइन क्लियर टिकट को, ड्राइवर को भेजे जाने से, रोक रखेगा. यदि पी.एल.सी.टी. ड्राइवर को पहले ही सौंप दिया गया है तो यदि संभव हो तो इसको वापस ले लिया जाएगा, यदि गाड़ी "एक्स" स्टेशन से "वाई" स्टेशन के लिए पहले ही रवाना हो गयी है, तो पीएलसीटी वापस लेने से पहले "एक्स" का स्टेशन मास्टर गाड़ी की स्थिति के बारे में "वाई" के स्टेशन मास्टर को तत्काल चेतावनी देगा.
- (ख) यदि "वाई" का स्टेशन मास्टर, "एक्स" को "लाइन क्लियर" देने के बाद, आपाती मामले में "लाइन क्लियर" वापस लेना चाहता है, तो वह संचार साधन के किसी भी माध्यम से "एक्स" स्टेशन को सूचित करने का हर संभव प्रयास करेगा.

- (ग) आपात समय में यदि "एक्स" या "वाई" "लाइन क्लियर" वापस लेने में सफल हो जाता है, तो निर्धारित कार्यविधि का पालन करते हुए पेपर लाइन क्लियर टिकट को रद्द किया जाएगा.

1.9 इकहरी लाइन टोकन क्षेत्र और इकहरी लाइन टोकन रहित क्षेत्र में प्रथम रोक सिगनल के बाहर गाड़ी के शंटिंग के लिए "लाइन क्लियर" की मांग करना :

- (क) जब "एक्स" का स्टेशन मास्टर "वाई" स्टेशन की दिशा में प्रथम रोक सिगनल के बाहर किसी गाड़ी की आंशिक रूप से या पूरी तरह से शंटिंग करना चाहता है, तो वह उपर्युक्त 1.4 में निर्दिष्ट कार्यविधि के अनुसार "वाई" के स्टेशन मास्टर से "लाइन क्लियर" प्राप्त करेगा.
- (ख) इसके बाद स्टेशन मास्टर, ड्राइवर को प्रथम रोक सिगनल के बाहर शंटिंग करने और स्टेशन में लौटने के लिए प्राधिकृत करते हुए, पेपर लाइन क्लियर टिकट के साथ एक मेमो, जारी करेगा और उससे पावती प्राप्त करेगा. ऐसा न किए जाने तक शंटिंग आरंभ नहीं किया जाएगा. जब शंटिंग पूरा हो जाता है, और "एक्स-वाई" ब्लॉक सेक्शन पुनः क्लियर हो जाता है, तो "एक्स" लाइन क्लियर रद्द करेगा और "वाई" को सूचित करेगा.

1.10 "लाइन क्लियर" रद्द करना :

- (क) जब "एक्स", "वाई" से "लाइन क्लियर" प्राप्त करने के बाद, वह "लाइन क्लियर" रद्द करना आवश्यक समझता है तो वह ड्राइवर से पेपर लाइन क्लियर टिकट वापस लेगा और "वाई" का ध्यान आकर्षित करेगा.
- (ख) यदि गाड़ी को रोक दिये जाने के कारण "लाइन क्लियर" रद्द किया जाता है, तो पेपर लाइन क्लियर टिकट को रद्द किया जाएगा और टी/सी.1425 या टी/डी.1425 के ड्राइवर की प्रति, रिकार्ड प्रति के साथ संलग्न किया जाएगा.
- (ग) "एक्स" और "वाई" के मास्टर इसके बाद टी/ए.1425, टी/बी.1425 के कॉलम "डी" में प्रविष्टियां करेंगे.

ब्लाक उपकरणों की खराबी/निलंबन/व्यवस्था न होने के मामले में लाइन क्लियर पूछताछ
और जवाबी संदेश पुस्तक

गाड़ी भेजनेवाला स्टेशन

लाइन क्लियर पूछताछ

1. दिनांक संचार व्यवस्था की पद्धति
2. द्वारा स्टेशन मास्टर (स्टे.मा. का नाम) (स्टेशन)
स्टेशन मास्टर को (स्टे.मा. का नाम) (स्टेशन)
3. गाड़ी नं. अप/डाउन
4. बजे लाइन क्लियर मांगा गया और बजे स्टेशन से उत्तर प्राप्त हुआ.
5. अंतिम गाड़ी नं. अप/डाउन बजे स्टेशन से रवाना
हुई और बजे स्टेशन पर पहुँची.
6. प्राप्त प्राइवेट नंबर (आंकड़ों और शब्दों में)

गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है

7. गाड़ी नं. अप/डाउन बजे रवाना हुई.
8. गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है रिपोर्ट स्टेशन को दी गई और
बजे अभिस्वीकृति दी गई.

गाड़ी सेक्शन के बाहर

9. गाड़ी नं.अप/डाउन, बजे स्टेशन में पहुँची.
10. गाड़ी सेक्शन के बाहर रिपोर्ट, स्टेशन से प्राप्त हुई और बजे
अभिस्वीकृति दी गई.

लाइन क्लियर रद्दकरण

11. बजे "लाइन क्लियर" रद्द किया गया. रद्दकरण के कारण

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

- जो लागू नहीं है, उसे काट दें.
- प्रत्येक ब्लाक सेक्शन के लिए अलग-पुस्तक रखी जाए.

ब्लॉक उपकरणों की खराबी/निलंबन/व्यवस्था न होने के मामले में लाइन क्लियर पूछताछ
और जवाबी संदेश पुस्तक

गाड़ी प्राप्त करने वाला स्टेशन

लाइन क्लियर पूछताछ

1. दिनांक संचार व्यवस्था की पद्धति
2. (स्टेशन) के स्टेशन मास्टर से (स्टे.मा. का नाम)
..... (स्टेशन) के स्टेशन मास्टर तक (स्टे.मा. का नाम)
3. गाड़ी नं. अप/डाउन
4. बजे स्टेशन द्वारा लाइन क्लियर मांगा गया और बजे उत्तर भेजा गया.
5. पिछली गाड़ी नं. अप/डाउन बजे स्टेशन से प्रस्थान
हुई और बजे स्टेशन पहुँची.
6. दिया गया प्राइवेट नंबर (आंकड़ों और शब्दों में)

गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है

7. गाड़ी नं. अप/डाउन बजे स्टेशन से प्रस्थान हुई.
8. गाड़ी सेक्शन में प्रवेश कर रही है रिपोर्ट स्टेशन से प्राप्त हुई है और
..... बजे अभिस्वीकृति दी गई.

गाड़ी सेक्शन के बाहर

9. गाड़ी नं. अप/डाउन, बजे स्टेशन में पहुँची.
10. गाड़ी सेक्शन के बाहर की रिपोर्ट, स्टेशन को दिया गया है और बजे
अभिस्वीकृति दी गई.

लाइन क्लियर रद्दकरण

11. बजे "लाइन क्लियर" रद्द किया गया. रद्दकरण के कारण है

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

- जो लागू नहीं है, उसे काट दें.
- प्रत्येक ब्लॉक सेक्शन के लिए अलग-पुस्तक रखी जाए.

(नीला)

फार्म नं.टी/सी 1425

क्र.सं.

दक्षिण मध्य रेलवे

पेपर लाइन क्लियर टिकट

(ड्राइवर/रिकार्ड)

अप

गाड़ी का नंबर (विवरण)

दिनांक

समय बजकर मिनट

प्रेषक : स्टेशन मास्टर

सेवा में

गाड़ी नं. अप का ड्राइवर

लाइन क्लियर है और आपको स्टेशन जाने के लिए प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है.

अंतिम गाड़ी नं. ने स्टेशन में सेक्शन को क्लियर किया है.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) आंकड़ों में

सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार

* आपको अंतिम रोक सिगनल को खतरे की स्थिति में पार करने का प्राधिकार दिया जाता है, जब सिगनल ब्लाक उपकरण के साथ अंतर्पाशित है.

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मुहर

* जो लागू नहीं है, उसे काट दें.

(नीला)

फार्म नं.टी/डी 1425

क्र.सं.

दक्षिण मध्य रेलवे

पेपर लाइन क्लियर टिकट

(ड्राइवर/रिकार्ड)

डाउन

गाड़ी का नंबर (विवरण)

दिनांक

समय बजकर मिनट

प्रेषक : स्टेशन मास्टर

सेवा में

गाड़ी नं. डाउन का ड्राइवर

लाइन क्लियर है और आपको स्टेशन जाने के लिए प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है.

अंतिम गाड़ी नं. ने स्टेशन में सेक्शन को क्लियर किया है.

प्राइवेट नं. (शब्दों में) आंकड़ों में

सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार

* आपको अंतिम रोक सिगनल को खतरे की स्थिति में पार करने का प्राधिकार दिया जाता है, जब सिगनल ब्लाक उपकरण के साथ अंतर्पाशित है.

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन मास्टर की मुहर

* जो लागू नहीं है, उसे काट दें.